खण्ड–498, अंक–2
गुरुवार, 01 पौष, शक संवत् 1938
(22 दिसम्बर, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, 2016)

(खण्ड 498 में 2 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रदेश में ध्वस्त कानून–व्यवस्था एवं नोट बन्दी विषयक नियम–311 की सूचना सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)	7–8
प्रश्नोत्तर	8–22
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार	22–26
तमिलनाडु की मुख्य मंत्री सुश्री जे0 जयललिता के निधन पर शोकोद्गार...	27
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	27–30
जनपद लखनऊ के सदर बाजार में चुन्नीलाल कुन्नीलाल पुराना धर्मशाला में बड़े पैमाने पर जनता के धन का दोहन तथा ट्रस्टी रघुनाथ गुप्ता द्वारा धन दोहन व धर्मशाला की सुविधाओं को उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	30–31
रसोइया कल्याण संगठन के कर्मचारियों पर ग्राम प्रधानों व प्रधानाध्यपकों द्वारा मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद इलाहाबाद में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 तथा एन0जी0बी0ए0 द्वारा सीवर की खुदाई से कतिपय क्षेत्रों की सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	31–32
जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र स्थित पूरन नगर तिराहे से मानक नगर स्टेशन तथा मानक नगर स्टेशन से नहर तक सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाये जाने तथा ऊंचा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	32
जनपद शामली में जाम की समस्या से निजात पाने के लिये बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	32
जनपद आगरा में आवास विकास परिषद् द्वारा सेक्टर–8 में जर्जर हो चुकी सड़क व नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद सिद्धार्थनगर विकास खण्ड उस्का बाजार के ग्राम महदेवा खुर्द पोस्ट चौरी महुलानी में कृषि योग्य भूमि की ऊंचाई नहर से अधिक होने के कारण सूख जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	33–34

जनपद मथुरा नगर पालिका परिषद् को नगर विकास द्वारा नगर निगम बनाये जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में मुख्य मंत्री की घोषणा पर अमल किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 34

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बस्ती के विद्युत उपभोक्ताओं को सही ढंग से विद्युत आपूर्ति किये जाने तथा ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	34–35
जनपद उन्नाव में गंगा सिटी योजना के अन्तर्गत आवेदकों को आवासीय आवंटन में हुयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम–311 के अन्तर्गत सूचना	35–36
लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा अपर निजी सचिव चयन परीक्षा–2010 की कम्प्यूटर टर्मिनल परीक्षा में इण्टरनेट तथा लाइनेक्स का उपलब्ध न कराये जाने के बावजूद उन पर दिये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	36–37
जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत के नगर पंचायत रामनगर के मो0 धमेड़ी के अन्तर्गत मार्ग का अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद पीलीभीत में कतिपय प्रस्तावित क्षेत्र पंचायतों के गठन किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	38
जनपद गोरखपुर के ब्लाक सरदार नगर के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त/जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नये ट्रांसफार्मर लगाने व पुराने ट्रांसफार्मर की क्षमता उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	
प्रदेश में भारत साक्षरता मिशन में लोक शिक्षक केन्द्रों पर कार्यरत प्रेरकों का मानदेय 10,000/– रुपया किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	39–40
जनपद इलाहाबाद थाना हंडिया से लापता संजय कुमार पटेल के अभियुक्तों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	40
जनपद आगरा विकास खण्ड खेरागढ़ के सी0ए0टी0के0 मार्ग से डांडा होते हुए कुल्हाडा मोड़ तक के मार्ग को विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	40–41
उत्तर प्रदेश के कमजोर व मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिये संचालित योजनाओं व कार्यक्रम के क्रियान्वयन में की गयी धांधली के लिये जिम्मेदारों/दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
जनपद रामपुर की बिलासपुर में बार–बार विधान सभा में मुद्दा उठाने के बावजूद मुंसिफ कोर्ट न खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301	41–42

के अन्तर्गत सूचना ...

जनपद बांदा समेत पूरे बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में जंगली व अन्य जानवर के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने जाने से हो रही किसानों की तबाही के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 42

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद मेरठ नगर की जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	42–43
जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र सहित समस्त बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में जंगली व अन्य जानवर के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचाये जाने से हो रही किसानों की तबाही के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	43–44
जनपद सहारनपुर में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	44–45
जनपद लखीमपुर खीरी के कस्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डी समिति की कतिपय जर्जर सड़कों के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद सम्भल की काठ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सलेमपुर–मेहलकपुर मार्ग पर गंगा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45–46
जनपद लखीमपुर की तहसील धौरहरा में ग्राम खमरिया पंडित में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद महोबा में जिला कारागार के नये भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	46
जनपद कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली के पोलों में तार न खींचे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46–47
जनपद बरेली की शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत की कतिपय कालोनियों में बिजली के टूटे खम्भों एवं बांस–बल्लियों के माध्यम से की जा रही विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	47
भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा–33/39 को निरसित कराने पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	47–48
जनपद आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
जनपद खीरी की तहसील धौरहरा में दोहरा नाले पर बना क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के	48

अन्तर्गत सूचना ... ...
जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पाली के कतिपय सम्पर्क मार्गों को
ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 49

विषय	पृष्ठ–संख्या
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	49
प्रदेश में ध्वस्त कानून–व्यवस्था एवं नोटबन्दी विषयक नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	50
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2003–2004 (सदन के पटल पर रखा गया)	50
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2005–2006 (सदन के पटल पर रखा गया)	50
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2006–2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	50
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पंचम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2007–2008 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के छठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2008–2009 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सातवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2009–2010 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2011–2012 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2– 1341 / ग्यारह–9(107) / 07–उ0 प्र0 अधि0–30–07–आदेश (165)–2016 दिनांक 21 सितम्बर, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	51–52
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2– 1342 / ग्यारह–9(107) / 07–उ0 प्र0 अधि0–30–07–आदेश (166)–2016 दिनांक 21 सितम्बर, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	52
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2– 1463 / ग्यारह–9(128) / 16–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश (169)–2016 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	52
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड–1 एवं खण्ड–2 2015–2016 तथा विनियोग लेखे 2015–2016 (सदन के पटल पर रखी गयी)	52
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2– 1625 / ग्यारह–9(101) / 16–उ0 प्र0	52

अधि0–5–2008–आदेश (170)–2016 दिनांक 2 दिसम्बर, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...

राजस्व अनुभाग–13 की अधिसूचना सं0–624/एक–13–2016–5क (25)–2013 दिनांक 23 नवम्बर, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... 53

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2016 (दिनांक 22–08–2016 से दिनांक 01–09–2016 तक) में नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	53
दिनांक 10 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश विधान सभा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा दिनांक 18 अगस्त, 2011 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुनर्विचार हेतु लौटाये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश	53–55
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	56
उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	56
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	56
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	56
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	57
संस्कृत विश्वविद्यालय छाता मथुरा उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	57
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	57
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों को आवंटन विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	57
बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	57
एमिटी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	57
बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	58
एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	58
मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	58

उत्तर प्रदेश दण्ड निधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 58–59

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 59

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	59
आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	59
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र के माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	59–60
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	60
संस्कृत विश्वविद्यालय छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	60
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनमति की सूचना)	60
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	60–61
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	61
बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	61
एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	61
बरेली इण्टरलेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	61
एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	62
मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	62

...
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 62
उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 62
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 63
...
आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 63
...

विषय **पृष्ठ–संख्या**

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का पच्चीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 63
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का छब्बीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 64
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का इकतालिसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... 64
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का बयालिसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 64
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का तैंतालिसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 64
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का चौवालिसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 65
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का पैंतालिसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 65
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का छियालिसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया 65

गया) ... ...
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का सैंतालिसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 65
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2015–2016) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 65
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2015–2016) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 66
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी समिति (2015–2016) उक्त समिति का 12वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... 66
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी समिति (2015–2016) उक्त समिति का 13वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... 66
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 66
सैम हिग्गिनबाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)... 67
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)... 67
सदन में आज ही पुरःस्थापित सैम हिग्गिनबाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... 67

विषय **पृष्ठ–संख्या**

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 68–70
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–07, 21 लगायत 22,32,40,42,58,72 लगायत 73,83,86 तथा 92 (स्वीकृत) 70–71
उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित एवं पारित) 71–74
दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2017–2018 के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई व अगस्त, 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण (स्वीकृत) 74–75

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित एवं पारित) ... 75–84
सैम हिग्गिनबाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (पारित) 84–113
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित) 113–114
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें 115–117
सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 117
राष्ट्रगान 117–118

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–333

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
5. अजय, श्री वाराणसी
6. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
9. अजीमुल हक पहलवान, हाजी अम्बेडकरनगर
10. अताउररहमान, श्री बरेली
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
13. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमतीप्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
33. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
34. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
35. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
36. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
37. 'आनन्द सेन, श्री फैजाबाद
38. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
39. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
40. आलमबदी, श्री आजमगढ़
41. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
42. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
43. आशीष यादव, श्री बदायूं
44. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
45. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
46. इकबाल महमूद, श्री सम्भल

' उप चुनाव में निर्वाचित।

47. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
48. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
49. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
50. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
52. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
53. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
54. उदयराज, श्री उन्नाव
55. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
56. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
57. उमाशंकर, श्री बलिया
58. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
59. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
60. ओम कुमार, श्री बिजनौर
61. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
62. 'कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
63. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
64. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
65. काली चरन सुमन, श्री आगरा
66. किसमतिया, श्रीमती गाजीपुर
67. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
68. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
69. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
70. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
73. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
74. गजराज सिंह, श्री हापुड़
75. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
76. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
77. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
78. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
79. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
80. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
81. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
82. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
83. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
84. गोमती यादव, श्री लखनऊ
85. गोरख पासवान, श्री बलिया
86. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
87. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
88. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
89. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
90. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
91. जगपाल सिंह, श्री सहारनपुर
92. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
93. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
94. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
95. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
96. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
97. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
98. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
99. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
100. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
101. तसलीम, श्री बिजनौर
102. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
103. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
104. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
105. दलजीत सिंह, श्री बांदा
106. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़

' उप चुनाव में निर्वाचित।

107. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
108. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
109. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
112. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
113. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
114. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
115. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
116. धर्मराज, श्री बाराबंकी
117. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
118. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
119. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
120. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
121. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
122. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
123. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
124. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
125. नारद राय, श्री बलिया
126. नाहिद हसन, श्री शामली
127. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
128. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
129. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
130. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
131. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
132. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
133. पीतमराम, श्री पीलीभीत
134. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
135. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
136. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
137. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
138. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
139. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
140. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
141. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
142. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
143. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
144. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
145. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
146. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
147. फेरन लाल, श्री ललितपुर
148. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
149. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
150. बदलू खां, श्री उन्नाव
151. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
152. बाबू खां, श्री हरदोई
153. बाबूलाल, श्री गोण्डा
154. बावन सिंह, श्री गोण्डा
155. विमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
156. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
157. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
158. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
159. बैजनाथ, श्री मऊ
160. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
161. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
162. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
163. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
164. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
165. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
166. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर

167. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
168. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
169. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
170. मनबोध, श्री देवरिया
171. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
172. मनीष रावत, श्री सीतापुर
173. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
174. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
175. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
176. महबूब अली, श्री अमरोहा
177. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
178. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
179. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
180. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
181. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
182. 'माविया अली, श्री सहारनपुर
183. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
184. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
185. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
186. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
187. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
188. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
189. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
190. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
191. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
192. 'मो0 फईम, श्री मुरादाबाद
193. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
194. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
195. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
196. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद

' उप चुनाव में निर्वाचित।

197. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
198. मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
199. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
200. यासर शाह, श्री बहराइच
201. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
202. योगेन्द्र पाल सिंह, श्री कानपुर देहात
203. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
204. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
205. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
206. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
207. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
208. रणजीत सुमन, श्री एटा
209. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
210. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
211. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
212. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
213. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
214. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
215. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
216. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
217. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
218. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
219. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
220. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
221. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
222. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
223. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
224. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
225. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
226. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
227. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
228. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
229. राधे श्याम, श्री अमेठी
230. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
231. राम करन आर्य, श्री बस्ती
232. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री सम्भल

233. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
234. राम गोविन्द, श्री बलिया
235. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
236. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
237. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
238. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
239. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
240. राम मगन, श्री बाराबंकी
241. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
242. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
243. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
244. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
245. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
246. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
247. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
248. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
249. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
250. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
251. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
252. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
253. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
254. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
255. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
256. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
257. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
258. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
259. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
260. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
261. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
262. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
263. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
264. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
265. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
266. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
267. विजय सिंह, श्री रामपुर
268. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
269. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
270. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
271. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
272. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
273. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
274. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
275. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
276. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
277. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्धनगर
278. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
279. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
280. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
281. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
282. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
283. शाकिर अली, श्री देवरिया
284. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
285. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
286. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
287. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
288. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
289. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
290. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
291. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
292. श्याम प्रकाश, श्री हरदाई
293. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
294. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
295. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
296. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
297. संजय कपूर, श्री रामपुर
298. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
299. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
300. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
301. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
302. सतीश कुमार निगम

'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
303. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
304. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
305. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
306. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
307. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
308. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
309. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
310. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
311. सियाराम सागर, डा0 बरेली
312. सीमा, श्रीमती जौनपुर
313. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
314. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
315. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
316. सुधाकर, श्री मऊ
317. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
318. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
319. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
320. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
321. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
322. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
323. सुरेश राणा, श्री शामली
324. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
325. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
326. सुल्तान बेग, श्री बरेली
327. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
328. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
329. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
330. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
331. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
332. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
333. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन), माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी), कारागार मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था एवं नोट बंदी विषयक नियम–311 की सूचना सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

(बहुजन समाज पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण ''सदन की घोषणाएं, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नोटबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गल्ला चोर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केन्द्र सरकार के पैसों की लूट बंद करो, बंद करो। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, प्रदेश सरकार मस्त है''आदि नारे लिखे बैनर और तख्तियां लेकर सदन के वेल में आ गए और नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री गया चरण दिनकर)–

मा0 अध्यक्ष जी, नियम–311 के अन्तर्गत निर्धारित समय के अन्तर्गत मेरे द्वारा सूचना दी गई है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज समाज का प्रत्येक तबका परेशान हाल में है। लोगों की जान–माल, ईमान और मजहब को भीषण खतरा पैदा हो गया है इसलिए श्रीमन्, मैं आज सदन की कार्य–सूची स्थगित कर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, दिनांक 15–12–2016 को लखनऊ में जो प्रदेश की राजधानी है तो लखनऊ में 15–12–2016 को महानगर में बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा के सामने कैश वैन लूट ली गई। करोड़ों रुपये की नकदी लूटी गई किन्तु इस लूट के खिलाफ सरकर और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी प्रकार 19–12–2016 को जनपद चित्रकूट के थाना पहाड़ीपुर में हन्ना गांव है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण, अब आप लोगों का विरोध हो गया, इतना बहुत हो गया। क्या आप चलते–चलते भी यही सब करेंगे। आज सदन का आखिरी दिन है। अब जब चुनाव होगा तब नया सदन आएगा तो जो रहेगा उसमें करिएगा। अब आप लोग चलिए, आज बहुत हो गया। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस 16वीं विधान सभा के अखिरी सत्र का आज आखिरी दिन है और आज तो सकुशल, आराम से बातचीत करते हुए जाइए और अब इस सब का क्या मतलब है। अब आप जो यहां करेगें उसका जवाब भी नहीं आ पाएगा क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, सब चुनाव में जाएंगे इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने–अपने स्थान पर चलिए और वहीं से बात करिए। मा0 नेता विरोधी दल, आप इन सब लोगों को बुला लीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री गया चरण दिनकर–

मा0 अध्यक्ष जी, आगरा में 19 दिसम्बर को के0डी0एस0 कालेज के सामने अनुसूचित.....

श्री अध्यक्ष–

अब मैं 20 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिये स्थगित कर दी। डिप्टी मार्शल ने 11 बजकर 23 मिनट पर सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12.00 बजे तक बढ़ा दिया है। 12.00 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक बढ़ा दिया है।)

ख1.02, प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के किसानों में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु परम्परागत कृषि विकास योजना की जानकारी

'01–श्री मनीष असीजा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के किसानों को जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन मंत्री (श्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह)–

जी नहीं।

जैविक खाद्य का प्रयोग करने के लिए प्रदेश में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में प्रदेश के 15 जनपदों में 575 क्लस्टर के 28750 एकड़ क्षेत्र में योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है।

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ''जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना'' का संचालन जनपद के 140 क्लस्टर (7000 एकड़) में वित्तीय वर्ष 2016–17 से किया जा रहा है।

कृषकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के सन्तुलित प्रयोग हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनान्तर्गत मृदा परीक्षण के आधार पर फसलवार रासायनिक उर्वरकों/जैविक खाद्यों की आवश्यकतानुसार/सन्तुलित मात्रा में प्रयोग करने हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से कृषकों को जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें मृदा के उर्वरा शक्ति में सुधार के साथ–साथ कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वायुमण्डल में प्राकृतिक रूप से प्राप्त आक्सीजन को निःशुल्क व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

'02–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से व्याप्त आक्सीजन को, आक्सीजन गैस उत्पादनकर्ताओं को निःशुल्क सीधे वायुमंडल से लेकर व्यावसायिक उत्पादन करने देने की कोई नीति है ? यदि हां, तो उस नीति का पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो नीति विरुद्ध इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, चित्रकूट जनपदों में वायुमण्डल से आक्सीजन गैस उत्पादन करने वालों की जांच शासन द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :––उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया पर तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

मुख्य मंत्री (अखिलेश यादव)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वायु मण्डल में प्राकृतिक रूप से व्याप्त आक्सीजन को, आक्सीजन गैस उत्पादनकर्ताओं को निःशुल्क सीधे वायुमण्डल से लेकर व्यावसायिक उत्पादन करने देने की कोई नीति नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्षवार नकली खाद्य बिक्री की रोकथाम विषयक कार्य योजना

'03–श्री दलवीर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012 से दिनांक 03–08–2016 तक वर्षवार नकली खाद बिक्री के कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं तथा कितने प्रकरणों में सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि नकली खाद बिक्री को रोकने के लिए क्या–क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह–

प्रदेश में वर्ष 2012 से दिनांक 03 अगस्त, 2016 तक उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रहित नमूनों के अधिसूचित प्रयोगशालाओं में विश्लेषणोंपरान्त अमानक पाये गये नमूनों का वर्षवार विवरण इस प्रकार है :––

क्र0 सं0	वर्ष	ग्रहित नमूनों की संख्या	अमानक नमूनों की संख्या	अमानक प्रतिशत
1	2012–13	10302	557	5.41
2	2013–14	10848	722	6.66
3	2014–15	13413	921	6.87

4	2015–16	10324	529	5.12
5	2016–17 (दिनांक 03 अगस्त, 2016 तक)	3109	101	3.25

उपरोक्त समस्त प्रकरणों में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की गयी है।

प्रदेश में अमानक उर्वरकों की बिक्री को रोकने एवं कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण की कार्य योजना बनाते हुए उर्वरक व्यवसाय पर छापे एवं नमूना ग्रहित करने के जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसके क्रम में उर्वरक निरीक्षकों द्वारा छापे मारकर उर्वरक नमूनें ग्रहित करते हुए विश्लेषण हेतु अधिसूचित प्रयोगशालाओं को प्रेषित किए जा रहे हैं एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा भी रबी एवं खरीफ में प्रदेश के समस्त जनपदों में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डलवाये गये। वर्तमान वर्ष 2016–17 में दिनांक 30 नवम्बर, 2016 तक प्रदेश में उर्वरक प्रवर्तन की कड़ी कार्यवाही करते हुए 21470 छापे आयोजित कर कुल 6374 नमूनें ग्रहित किए जा चुके हैं जिनके प्रयोगशालाओं में विश्लेषणोपरान्त 416 नमूनें अमानक पाये गये। 423 उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलंबित किए गए, 303 उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त किए गए, 19 उर्वरक प्रतिष्ठान सील किए गए एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 की धारा–3/7 के अन्तर्गत उर्वरक व्यवसाईयों के विरुद्ध 11 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों की वर्तमान रबी की बुआई हेतु सब्सिडी पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने विषयक जानकारी

'04–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को वर्तमान रबी की बुवाई हेतु सब्सिडी दर पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा कृषि केन्द्रों पर उपलब्ध प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता का समय–समय पर परीक्षण कराने तथा जवाबदेही निर्धारित करने की कोई व्यवस्था निर्धारित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह–

जी नहीं।

रबी 2016–17 में विभिन्न सरकारी एवं अर्द्धसरकारी तथा सहकारी क्षेत्र के माध्यम से वितरित गेहूं, जौ एवं दलहनी तथा तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों पर

केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार अनुदान कृषकों को अनुमन्य किया गया है :––

क्र0सं0	फसल	प्रजाति श्रेणी	देय अनुदान (रु0/कुं0)	केन्द्र अनुदान
1	गेहूं	10 वर्ष तक की प्रजाति	400.00	1000.00
		11–15 वर्ष तक की प्रजाति	200.00	0.00
2	जौ	10 वर्ष तक की प्रजाति	400.00	1500.00
		11–15 वर्ष तक की प्रजाति	200.00	0.00
3	दलहन (चना, मटर एवं मसूर)	15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजाति	1500.00	2500.00
4	तिलहन (राई, तोरिया एवं अलसी)	15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजाति	800.00	2500.00

केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार के देय अनुदान बीज के निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत तक की सीमा तक ही उपलब्ध कराया जायेगा तथा अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषक के बैंक खाते में स्थानान्तरित कराये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

बीज अधिनियम, 1966 बीज गुण–नियंत्रण आदेश, 1983 में प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक सीजन में बीज बिक्री केन्द्रों पर मानक के परीक्षणोंपरान्त बीजों की आपूर्ति की जाती है। बीजों की गुणवत्ता हेतु आवश्यकतानुसार नमूनें ग्रहित किए जाते हैं तथा बीज अधिनियम एवं बीज गुण–नियंत्रण आदेश, 1983 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित के विरुद्ध जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छोटे किसानों को आधुनिक तकनीकी आधारित निःशुल्क प्रशिक्षण दिये जाने की जानकारी

'05–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छोटे किसानों को खेती करने की आधुनिक तकनीकी की जानकारी न होने के कारण प्रदेश में रबी तथा खरीफ की फसलों की औसत पैदावार अपेक्षाकृत कम होती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार दलहन, तिलहन तथा अन्य फसलों की औसत पैदावार बढ़ाने हेतु उनको आधुनिक

तकनीकी तथा कृषि सम्बन्धी अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष कार्य–योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि प्रदेश में केन्द्र पुरोनिधानित योजना ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' दलहन घटक रबी 2007–08 से प्रारम्भ हुई। प्रारम्भ में योजना 19 जनपदों में लागू थी। वर्ष 2010–11 से योजना पूरे प्रदेश में क्रियान्वित हुई। योजना के अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर प्रदर्शनों का निःशुल्क आयोजन, अनुदान पर उन्नत बीज वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन, कृषि रक्षा रसायन/बायोएजेण्ट, खरपतवारनाशी, विभिन्न कृषि यंत्रों का वितरण, सिंचाई हेतु पम्पसेट, स्प्रिंकलर सेट, मोबाइल स्प्रिंकलर रेनगन एवं पानी ले जाने हेतु पाइप वितरण का कार्यक्रम चालू है। इसके अतिरिक्त कृषकों को फसल पद्धति आधारित निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

आगरा सहित प्रदेश के अन्य महानगरों में वायुप्रदूषण नियन्त्रण हेतु कार्य–योजना

'06–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर सहित प्रदेश के अन्य महानगरों में वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक खतरनाक स्थिति में पहुंचने से लोगों में श्वास सम्बन्धी रोगों के साथ–साथ त्वचा रोग एवं कैंसर जैसे जटिल रोग उत्पन्न होने के कारण लोगों का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या के निराकरण हेतु कोई कार्य–योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा शहर ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में स्थित है। टी0टी0जेड0 क्षेत्र में प्रदूषणकारी नये उद्योगों की स्थापना एवं पूर्व से स्थापित/संचालित उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि प्रतिबंधित है। आगरा महानगर में सभी उद्योगों में ईंधन के रूप में स्वच्छ ईधन, सी0एन0जी0 का प्रयोग किया जा रहा है तथा शहर के वाहनों में भी सी0एन0जी0 की आपूर्ति की जा रही है। आगरा शहर के पर्यावरण सुधार हेतु कार्ययोजना पूर्व से बनी हुई है। इसी प्रकार प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोयडा, सिंगरौली, वाराणसी, फिरोजाबाद, मिर्जापुर के पर्यावरण सुधार हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यान्वित की जा रही है। जिसका अनुश्रवण स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। वाहनों से जनित वायु

प्रदूषण के नियंत्रण हेतु भी प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, नोयडा, ग्रेटर नोयडा, बरेली, मेरठ, फिरोजाबाद, मथुरा शहरों में स्वच्छ ईधन, सी0एन0जी0 की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं सम्पूर्ण एन0सी0आर0 क्षेत्र में भारत स्टेज–4 के वाहन उत्सर्जन मानक प्रभावी है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगरा महानगर के अन्तर्गत बोदला तथा नुनहाई क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। बोदला एवं नुनहाई क्षेत्र में माह जनवरी, 2016 से माह नवम्बर, 2016 तक किये गये परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण के परिणामों के आधार पर पी0एम0–10 का औसतमान मानकों से अधिक है। सल्फर डाई आक्साईड गैस तथा नाईट्रोजन डाई आक्साईड गैस मानकों के अनुरूप है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन0ए0एम0पी0) के अन्तर्गत तथा स्वयं के संसाधनों से प्रदेश के 21 प्रमुख नगरों के कुल 62 स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणता की जांच का कार्य किया जाता है। वायु गुणता अनुश्रवण का कार्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार सप्ताह में 02 दिन (24 घंटे लगातार) नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख वायु प्रदूषणकारी प्रचालकों की जांच का कार्य किया जाता है।

1–पार्टिकुलेट मेटर पी0एम0–10 (10 माइक्रोन से कम आकार के कण)

2–सल्फर डाई आक्साइड गैस

3–नाइट्रोजन डाई आक्साइड गैस

जनवरी, 2016 से नवम्बर, 2016 में प्राप्त वायु गुणता अनुश्रवण आख्याओं के औसतमान आंकड़ों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उ0प्र0 के सभी 21 नगरों के आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं संवेदनशील क्षेत्रों की वायु गुणता में माह जनवरी, 2016 से नवम्बर, 2016 में प्राप्त पी0एम0–10 का औसतमान सभी स्थलों पर निर्धारित मानकों (वार्षिक मानक) से अधिक पाया गया। सल्फर डाई आक्साइड गैस का औसतमान सभी स्थलों पर निर्धारित मानकों (वार्षिक मानक) के अनुरूप पाया गया तथा नाइट्रोजन डाई आक्साइड गैस का औसतमान 21 शहरों में से 19 शहरों में मानकों (वार्षिक मानक) के अनुरूप पायी गयी।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों की नियुक्ति अन्य विभाग में होने पर उनकी सेवाओं की गणना का लाभ दिये जाने की जानकारी

01–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों/अध्यापकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के किसी विभाग में होने

पर उनकी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में की गयी सेवाओं की गणना का लाभ उन्हें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों से उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त, सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापक/कर्मचारी आच्छादित होते हैं ? यदि हां, तो क्या सेवाओं की गणना सम्बन्धी उक्त लाभ उन्हें भी अनुमन्य हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतंत्रप्रभार) (श्री शारदा प्रताप शुक्ला)–

जी हां।

मात्र शिक्षक संवर्ग आच्छादित है।

अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों के आवासीय क्षेत्रों में स्थापित अवैध फैक्ट्रीयों के विरुद्ध संगत प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत बंदी आदेश

02–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ समेत प्रदेश के सभी बड़े महानगरों के आवासीय क्षेत्रों में स्थापित अवैध फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं एवं रासायनिक गैस के उत्सर्जन से शीत ऋतु माह नवम्बर से फरवरी तक शहरवासियों को तमाम प्रकार की श्वास की बीमारियों के दृष्टिगत शहरी क्षेत्र के मध्य में स्थापित ऐसी सभी अवैध फैक्ट्रियों को चिन्हित करके बन्द कारायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

माह नवम्बर से फरवरी के मध्य वातावरण में तापक्रम कम होने एवं हवा की गति भी कम होने के कारण उत्सर्जन वायुमण्डल की नमी में मिश्रित होकर वातावरण में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करते हैं।

लखनऊ समेत प्रदेश की सभी बड़े महानगरों के आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना व संचालन अनुमन्य नहीं है तथा ऐसी इकाइयां जो महानगरों के आवासीय क्षेत्रों में स्थापित व संचालित पाई जाती हैं, के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार बंदी की कार्यवाही की जाती है। प्रदेश के महानगरों के आवासीय क्षेत्रों में संचालित कुल 96 इकाइयों के विरुद्ध संगत प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ शहर में चर्बी से होने वाली दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन द्वारा टीम गठित की जानकारी

03–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर में वर्ष 2012 से 04–08–2016 तक चर्बी की भयानक दुर्गन्ध की कितनी शिकायतें जिला प्रशासन के संज्ञान में आयी हैं ? यदि हां, तो शहर में फैलने वाली दुर्गन्ध को रोकने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष 2012 से दिनांक 04–08–2016 तक अभिलेखानुसार जिला प्रशासन के संज्ञान में कुल 11 प्रकरण आये हैं।

शहर में चर्बी से होने वाली दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन द्वारा टीम गठित की गयी है। टीम द्वारा शिकायती स्थल का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा प्राप्त आख्यानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है।

चर्बी की दुर्गन्ध को लेकर 07 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा–133 दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिनके सम्बन्ध में नगर मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु अलीगढ़ मण्डल मुख्यालय पर राजकीय विश्वविद्यालय स्थापना कराये जाने की मांग

04–श्री दलवीर सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु अलीगढ़ मण्डल मुख्यालय पर राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा वित्त विभाग एवं आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रेषित पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

05–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर में संख्या 18138160025272 पर दर्ज है और जिसे कार्यवाही हेतु

प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को भेजा गया था, पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी हां।

मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–18138160025272 पर दर्ज पत्र दिनांक 11–03–2016 कार्यालय में प्राप्त हुआ है। वित्त नियंत्रक, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी हैं, जिनका अधिष्ठान कार्य वित्त (सेवायें) अनुभाग–2 द्वारा किया जाता है। मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 11–03–2016 आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 04–05–2016 द्वारा वित्त विभाग एवं आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2016 में वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की जानकारी

06–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2016 में ऐसे कितने वृद्धजन हैं, जिनके आवेदन–पत्र स्वीकृत होने के बावजूद भी वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद में निर्दिष्ट समय सीमा निकल जाने के पश्चात पात्रता श्रेणी के वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन न मिल पाने के दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री शंख लाल माझी)–

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2016 में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत किसी भी पात्र व्यक्ति का आवेदन स्वीकृति/भुगतान हेतु जनपद स्तर पर लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में छात्र–छात्राओं की मार्कशीट डिग्री में फेरबदल करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रकरण

07–श्री मनीष असीजा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (आगरा विश्वविद्यालय) में शिक्षा सत्र 2012, 2013, 2014 एवं 2015 में पढ़ने वाले लाखों की संख्या में छात्र–छात्राओं की मार्कशीट, डिग्री, प्राप्त न होने तथा सुविधा शुल्क लेकर अंकतालिकाओं में फेरबदल करने के गोरखधंधों में लिप्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर कठोर कार्यवाही करने विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–5 नं0 540067, दिनांक 26–10–2016 उन्हें

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

जी नहीं।

शासन के पत्र संख्या–सी0 एम0–223/सत्तर–1–2016–16(118)/2016, दिनांक 21–12–2016 द्वारा आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को प्रकरण की जांच कर जांच आख्या 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता दिये जाने की जानकारी

08–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को मिलने वाली सहायता में अत्यधिक विलम्ब होने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–5, नं0 467725, दिनांक 30–06–2016 समाज कल्याण मंत्री एवं पत्र संख्या क–5, नं0 467726, दिनांक 30–06–2016 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी–

जी हां।

मा0 विधायक जी द्वारा सन्दर्भित उक्त दोनों पत्रों में उद्धृत 31 लाभार्थियों के खाते में धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद मण्डी स्थल की सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने की जानकारी

09–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद मण्डी समिति में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण माह जुलाई, 2016 में हुई बरसात में लगभग दो ढाई फुट पानी भर जाने के कारण भण्डारित गेहूं, बाजरा, जौ, लाई, एवं फल आदि का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि मण्डी समिति में जर्जर सड़कें, नाली निर्माण एवं जल निकासी हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव संख्या–192, दिनांक 25–09–2014 के माध्यम से

प्रस्ताव पारित कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां, कोटला रोड पर बम्बा चौराहे से मण्डी के गेट तक नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा सी0सी0 मार्ग मण्डी स्थल से लगभग एक फुट ऊंचा निर्मित करा दिया गया जिससे माह जुलाई, 2016 में हुई बरसात के कारण मण्डी परिसर में पानी भर गया और बरामदों में रखे खाद्यान्न में सीलन आ गयी।

जी हां। मण्डी स्थल के निर्माण के समय ही आन्तरिक सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य कराया गया था जो वर्तमान में समयान्तराल के कारण क्षतिग्रस्त हैं। मण्डी समिति द्वारा आन्तरिक सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है, किन्तु मण्डी समिति फिरोजाबाद की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की मार्कशीट/रिजल्ट/डिग्री न मिल पाने का प्रकरण

10–श्री मनीष असीजा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में छात्र/छात्राओं के 2013, 2014, 2015 एवं 2016 की मार्कशीट/रिजल्ट/डिग्री न मिल पाने के कारण आगे की पढ़ाई/कोर्स में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के सम्बन्ध में एक विशेष जांच दल का गठन कर समस्या का निराकरण करते हुए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के पैरीफेरल एक्सप्रेस हाई–वे का निर्माण कराये जाने हेतु मोदीनगर ग्रामों के किसानों से अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा अन्य ग्रामों के किसानों से कम दिये जाने का प्रकरण

11–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में पैरीफेरल एक्सप्रेस हाई–वे का निर्माण कराया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त एक्सप्रेस हाई–वे में विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के जिन ग्रामों के किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है, उनको अन्य ग्रामों के किसानों की अपेक्षाकृत कम मुआवजा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किसानों को भी समान दर से मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जनपद गाजियाबाद में पैरीफेरल एक्सप्रेस वे हाई–वे का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रतिकर की दर का निर्धारण भू–अर्जन की प्रथम अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक को प्रचलित सर्किल रेट (अर्जित ग्राम का) एवं उक्त ग्राम/क्षेत्र में तत्समय निष्पादित हुए विक्रय विलेखों तथा अर्जित भूमि की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है और सर्किल रेट सभी ग्रामों/क्षेत्रों का पृथक–पृथक होता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में नये डिग्री कालेज स्थापना कराये जाने की मांग

12–श्री सुदेश शर्मा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत छात्राओं के अध्ययन के लिए नये डिग्री कालेज की स्थापना हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में युवाओं के अभ्यास एवं प्रोत्साहन हेतु स्टेडियम का निर्माण कराये जाने की मांग

13–श्री सुदेश शर्मा–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत क्षेत्रीय युवाओं के दैनिक अभ्यास एवं प्रोत्साहन हेतु खेल स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री स्वतन्त्र प्रभार (श्री राम सकल गूजर)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या–10(4)/35–आ–1/2011–97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना शासन द्वारा समाप्त कर दी गई है।

जनपद फैजाबाद निर्धन पिछड़े वर्ग के पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र व अनुदान दिये जाने की जानकारी

14–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में निर्धन पिछड़े वर्ग के पुत्रियों की शादी के अनुदान सम्बन्धी वित्तीय वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक कुल कितने आवेदन–पत्र स्वीकृत किये गये, कितने निरस्त किये गये तथा कुल कितने विचाराधीन हैं ? क्या सरकार उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी)–

जनपद फैजाबाद में वर्ष 2012–13 में कुल 1352 आवेदन–पत्र प्राप्त हुये, जिसके सापेक्ष 1166 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया, 150 लाभार्थी अनुदान पाने से वंचित रह गये तथा 36 आवेदन–पत्र निरस्त किये गये।

जनपद फैजाबाद में वर्ष 2013–14 में कुल 2002 आवेदन–पत्र प्राप्त हुये, जिसके सापेक्ष 1439 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया, 521 लाभार्थी अनुदान पाने से वंचित रह गये तथा 42 आवेदन–पत्र निरस्त किये गये।

वित्तीय वर्ष 2014–15 योजना स्थगित।

वित्तीय वर्ष 2015–16 योजना स्थगित।

जनपद फैजाबाद में वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 02–12–2016 तक कुल 1553 ऑनलाईन आदेन–पत्र पोर्टल पर प्राप्त हुये, जिसमें से उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी स्तर से सत्यापित कुल 828 आवेदन–पत्रों के सापेक्ष 391 लाभार्थियों को योजना के लाभ से लाभान्वित किया गया। 322 आवेदन–पत्र उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी स्तर से निरस्त किये गये। 840 आवेदन–पत्र विचाराधीन है।

जनपद फैजाबाद रूदौली में अनुसूचित जाति/सामान्य जाति की शादी हेतु अनुदान प्राप्त आवेदन–पत्रों पर अनुदान दिये जाने की जानकारी

15–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में शादी अनुदान हेतु अनुसूचित जाति/सामान्य जाति के कुल कितने आवेदन–पत्र वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार सभी प्रार्थना–पत्रों की जांच कराकर अनुदान दिये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में शादी अनुदान हेतु अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के क्रमशः–87 एवं 37 आवेदन–पत्र आनलाइन भरे गये हैं।

जी हां। उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सभी प्रार्थना–पत्रों की जांच कराकर यथासम्भव अनुदान दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

स्थलीय जांचोपरान्त/सत्यापन के उपरान्त पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध बजट की सीमा तक वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्त तक लाभान्वित कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में वित्तीय वर्ष 2016–2017 में वृद्धा पेंशन बढ़ोत्तरी की गयी धनराशि को खातों में हस्तान्तरण दिये जाने की जानकारी

16–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना में धनराशि की बढ़ोत्तरी की गयी है ? यदि हां, तो, जनपद फैजाबाद में बढ़ी हुई दर से कुल कितने लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2016–17 में नयी स्वीकृति प्रदान कर खातों में धनराशि का हस्तान्तरण कर दिया गया है ? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रूदौली, जनपद फैजाबाद के लाभार्थियों का सम्पूर्ण विवरण ग्राम पंचायतवार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी–

जी हां।

जनपद फैजाबाद में वित्तीय वर्ष 2016–17 में नई पेंशन की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के उद्यमियों को सुगमतापूर्वक उद्यम स्थापित करने हेतु तथा व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने की नीति निर्धारित जानकारी

17–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने कृपा करेंगे कि प्रदेश में विश्व बैंक ने भारतीय राज्यों की व्यापार सुगमता सूची (ईज आफ डूइंग वर्क) प्रकाशित की है ? यदि हां, तो उसके तथ्यात्मक आधार क्या हैं और तुलनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है ? क्या सरकार व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिए कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

विविध राज्यों में उद्यम लगाने हेतु प्रक्रियाओं में की गयी पारदर्शिता, सरलता एवं सुगमता इत्यादि के आधार पर सूची प्रकाशित की गयी है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है।

वर्तमान में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 प्रचलित है। व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिए पृथक से कोई नीति निर्धारित नहीं है।

उद्यमियों को प्रदेश में सुगमतापूर्वक उद्यम स्थापित करने हेतु वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली में 31–03–2016 तक के लम्बित वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को पेंशन की स्वीकृत की जानकारी

18–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धा पेंशन की पात्रता में आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार से ऊपर तथा शहरी क्षेत्र में 56 हजार से ऊपर घोषित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली में बढ़ायी गयी आय सीमा के आधार पर सर्वे कराकर दिनांक 31 मार्च, 2016 तक लम्बित आवेदन–पत्रों में से पात्रों को पेंशन की स्वीकृति देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी–

जी हां।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में 31 मार्च, 2016 तक के लम्बित वृद्धावस्था पेंशन के आवेदकों द्वारा दिनांक 01–04–2016 से ऑनलाईन प्रक्रिया के अनुसार भरे गये आवेदन–पत्रों की खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा स्थलीय जांच के उपरान्त पात्रता की श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों को पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के रूदौली में विकलांगों की बढ़ायी गयी आय–सीमा के आधार पर पेंशन की स्वीकृत की मांग

19–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांग पेंशन की पात्रता में आय सीमा बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार से ऊपर तथा शहरी क्षेत्र में 56 हजार से ऊपर घोषित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली में बढ़ायी गयी आय सीमा के आधार पर सर्वे कराकर पात्र विकलांगों को पेंशन दिनांक 31 मार्च, 2016 तक स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी–

जी हां। विकलांग पेंशन की पात्रता हेतु आय सीमा में बढ़ोत्तरी सम्बन्धी ''उ0प्र0 में निःशक्तजन को उनके भरण–पोषण हेतु अनुदान नियमावली–2016'' दिनांक 07–10–2016 को प्रख्यापित की गयी है।

जी नहीं। क्योंकि दिनांक 31 मार्च, 2016 व्यतीत हो चुकी है।

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत समाजवादी पेंशन योजना की आय–सीमा के आधार पर पेंशन की व्यवस्था

20–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समाजवादी पेंशन की पात्रता में आय सीमा बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार से ऊपर तथा शहरी क्षेत्र में 56 हजार से ऊपर घोषित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली में बढ़ायी गयी आय सीमा के आधार पर सर्वे कराकर पात्र लाभार्थियों को समाजवादी पेंशन 31 मार्च, 2016 तक स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी–

जी हां।

समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत आय–सीमा के साथ ही पात्र पाये गये आवेदकों का वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए चयन किये जाने की व्यवस्था है।

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत आने वाले पात्र लाभार्थियों का चयन भी उक्त व्यवस्था के अनुरूप ही किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई।

ख12.20, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा का 28 अक्टूबर 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 86 वर्ष के थे। कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा का जन्म जुलाई, 1930 को ग्राम मकरन्दपुर, जिला कानपुर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी।
कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा सर्वप्रथम 1962 में निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर (पूर्व), जिला कानपुर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1974 में सोशलिस्ट पार्टी, वर्ष 1980 एवं 1985 में कांग्रेस (आई0) तथा वर्ष 1991 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर, जिला कानपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा 21 फरवरी, 1975 से 30 अप्रैल, 1977 तक विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे थे। वे श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री श्रीपति मिश्र और श्री नारायण दत्त तिवारी मन्त्रिमण्डल में राज्य मन्त्री रहे थे। कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा विधान सभा की विशेषाधिकार समिति, विधान पुस्तकालय समिति, आवास मंत्रणा समिति, याचिका समिति तथा प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सभापति भी रहे थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थापना में अप्रतिम योगदान दिया था। रचनात्मक कार्यक्रमों, शिक्षा के प्रसार तथा खेलकूद में उनकी विशेष रुचि थी। उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी कार्य उन्हें प्रिय थे। कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मौजी लाल कुरील का 12 अगस्त, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री मौजी लाल कुरील का जन्म 04 जून, 1926 को ग्राम कैलई, जिला कानपुर देहात में हुआ था। श्री मौजी लाल कुरील वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर (अ0जा0), जिला कानपुर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मौजी लाल कुरील एक कुशल सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रूचि थी। श्री मौजी लाल कुरील के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री इश्तियाक अंसारी का 02 सितम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे। श्री इश्तियाक अंसारी का जन्म 15 अगस्त, 1948 को ग्राम बाराचंवर, जिला गाजीपुर में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री इश्तियाक अंसारी वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र जहूराबाद, जिला गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री इश्तियाक अंसारी ने अनेक जन आन्दोलनों में भाग लिया था। वे अपने क्षेत्र में गरीब, दलित तथा कमजोर वर्गों को संगठित करने और उन्हें न्याय दिलाने में विशेष रूचि रखते थे। खेलकूद उन्हें प्रिय था। श्री इश्तियाक अंसारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती गेंदा देवी का 18 अगस्त, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष की थीं। श्रीमती गेंदा देवी का जन्म 1 जनवरी, 1934 को गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती गेंदा देवी वर्ष 1957 तथा 1962 में निर्वाचन क्षेत्र खलीलाबाद, जिला बस्ती से कांग्रेस के टिकट पर एवं वर्ष 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र हैंसर बाजार (अ0जा0), जिला बस्ती से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। श्रीमती गेंदा देवी गांव पंचायत की उप सभापति व संस्थापिका तथा जिला दलित वर्ग संघ की मंत्री रहीं थीं। वे जन कल्याण समिति, सर्वोदय सर्विस सोसायटी तथा ज्योति सेवा संस्थान की अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी, बस्ती तथा जिला महिला भारत सेवक समाज की संयोजिका भी रही थीं। दलित उद्धार के कार्यों में उनकी विशेष रूचि थी। श्रीमती गेंदा देवी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सैय्यद जावेद अली का 12 सितम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे। श्री सैय्यद जावेद अली का जन्म 9 जुलाई, 1944 को गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सैय्यद जावेद अली वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र पिपराइच, जिला गोरखपुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री सैय्यद जावेद अली एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा एवं कृषि कार्यों में उनकी विशेष रूचि थी। श्री सैय्यद जावेद अली के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम आसरे पासवान का 15 सितम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री राम आसरे पासवान का जन्म 27 जनवरी, 1941 को ग्राम रैमा मैनसिर, जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम आसरे पासवान निर्वाचन क्षेत्र खलीलाबाद (अ0जा0), तत्कालीन जिला बस्ती से वर्ष 1977 में जनता पार्टी, वर्ष 1980 में जनता (एस0) चरण सिंह तथा वर्ष 1989 एवं वर्ष 1996 में जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम आसरे पासवान धारा 188 के अन्तर्गत अनेक बार बस्ती तथा लखनऊ कारागार में बन्दी रहे थे। वे श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल में लघु सिंचाई राज्य मंत्री तथा विधान सभा में जनता दल विधायक दल के नेता रहे थे। वे रामशंकर सच्चिदानन्द पाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिकरी, बस्ती के अध्यक्ष तथा श्री सांगवेद संस्कृत विद्यालय, कोडरा, बस्ती के उपाध्यक्ष भी रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रूचि थी। श्री राम आसरे पासवान के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डा0 जी0एस0 विनोद का 23 सितम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। डा0 जी0एस0 विनोद का जन्म 2 दिसम्बर, 1939 के ग्राम भाटू, जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, वैद्य विशारद तथा आयुर्वेदरत्न की शिक्षा ग्रहण की थी। डा0 जी0एस0 विनोद वर्ष 1989 तथा वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र चरथावल(अ0जा0), जिला मुजफ्फरनगर से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। डा0 जी0एस0 विनोद ने विद्यार्थी जीवन से ही अनेक आन्दोलनों विशेष रूप से छुआछूत तथा भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनों में भाग लिया था और बन्दी रहे थे। वे भारतीय दलित वर्ग संघ, मुजफ्फरनगर के महामंत्री, संयुक्त युवा मोर्चा ब्लाक चरथावल के उपाध्यक्ष तथा कौमी एकता कमेटी के महामंत्री रहे थे। जनसेवा तथा बागवानी में उनकी विशेष रूचि थी। डा0 जी0एस0 विनोद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिवगणेश लोधी का 25 सितम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 54 वर्ष के थे। श्री शिवगणेश लोधी का जन्म 10

फरवरी, 1962 को ग्राम सुखिया खेरा, जिला रायबरेली में हुआ था। उन्होंने स्नातक एवं एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शिवगणेश लोधी निर्वाचन क्षेत्र सतांव, जिला रायबरेली से वर्ष 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 2007 में कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री शिवगणेश लोधी, युवा लोधी महासभा, उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय उपाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश खनिज निगम एवं हथकरघा निगम के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय एकीकरण के उपाध्यक्ष रहे थे। वे श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल में राज्यमंत्री रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रूचि थी तथा अध्ययन उन्हें प्रिय था। श्री शिवगणेश लोधी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हर्ष वर्धन का 03 अक्तूबर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 69 वर्ष के थे। श्री हर्ष वर्धन का जन्म 01 दिसम्बर, 1947 को आगरा में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हर्ष वर्धन वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र फरेन्दा, जिला गोरखपुर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। श्री हर्ष वर्धन ने अनेक बार आन्दोलनों में भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे बन्दी रहे थे। शोषितों के लिए संघर्ष करने में उनकी विशेष रुचि थी तथा अध्ययन उन्हें प्रिय था। श्री हर्ष वर्धन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री छत्तर सिंह का 18 अक्तूबर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 95 वर्ष के थे। श्री छत्तर सिंह वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र खुर्जा, जिला बुलन्दशहर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री छत्तर सिंह एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री छत्तर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नन्द राम का 21 अक्तूबर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री नन्द राम का जन्म वर्ष 1940 में ग्राम ककरा कलां, जिला बरेली में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री नन्द राम वर्ष 1980 तथा 1991 में भारतीय जनता पार्टी तथा वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर (अ0जा0), जिला बरेली से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री नन्द राम अनेक आंदोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप बन्दी रहे थे। वे ग्राम सभा के प्रधान तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे थे। जनसेवा एवं क्षेत्रीय विकास कार्यो में उनकी विशेष रूचि थी तथा पुस्तकें पढ़ना उन्हें प्रिय था। श्री नन्द राम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती राजपती देवी का 26 अक्टूबर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष की थीं। श्रीमती राजपती देवी का जन्म 1 जनवरी, 1933 को धम्मौर, जिला सुल्तानपुर में हुआ था। श्रीमती राजपती देवी वर्ष 1969 व 1974 में कांग्रेस, वर्ष 1980 व 1985 में कांग्रेस (आई0) तथा वर्ष 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। श्रीमती राजपती देवी वर्ष 1978 में राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप सुल्तानपुर जेल में बन्दी रही थीं। वे कमला बाल विद्या मन्दिर, गौरीगंज, सुल्तानपुर की अध्यक्ष रही थीं। समाज सेवा और कृषि में उनकी विशेष रुचि थी तथा लोकगीत उन्हें प्रिय थे। श्रीमती राजपती देवी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री महरम सिंह का 4 नवम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 86 वर्ष के थे। श्री महरम सिंह का जन्म 31 दिसम्बर, 1930 को ग्राम गांधी, जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। श्री महरम सिंह वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र भोजपुर, जिला फर्रुखाबाद से, वर्ष 1967 एवं 1969 में निर्वाचन क्षेत्र फर्रूखाबाद, जिला फर्रुखाबाद से कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री महरम सिंह उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के संचालक तथा जिला कांग्रेस कमेटी, फर्रुखाबाद के महामंत्री एवं अध्यक्ष रहे थे। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे थे। वे कई शैक्षिक तथा सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे थे। अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री महरम सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगदीश लाल का 13 नवम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे। श्री जगदीश लाल वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र सिसवा, जिला महराजगंज से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री जगदीश लाल एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। श्री जगदीश लाल एक लोकतन्त्र रक्षक सेनानी भी थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जगदीश लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिवलाल का 24 नवम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री शिवलाल का जन्म 15 सितम्बर, 1937 को जिला कानपुर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शिवलाल वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र आर्य नगर (अ0जा0), जिला कानपुर तथा वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र सीसामऊ (अ0जा0), जिला कानपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री शिवलाल, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मंत्रिमण्डल में उपमंत्री रहे थे। सामाजिक कार्यों, शिक्षा तथा

नागरिक शास्त्र में उनकी विशेष रुचि थी। श्री शिवलाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बादाम सिंह का 15 दिसम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री बादाम सिंह का जन्म 15 जनवरी, 1936 को हुआ था। श्री बादाम सिंह वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र बरेली कैण्ट, जिला बरेली से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री बादाम सिंह एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा तथा कृषि में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बादाम सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

विधान सभा के इन माननीय पूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक–संतृप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक–संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, आप सभी अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

तमिलनाडु की मुख्य मंत्री सुश्री जे0 जयललिता के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

एक और शोक–संवेदना तमिलनाडु की मुख्य मंत्री सुश्री जे0 जयललिता के बारे में है, उसको मैं पढ़ देता हूं।

तमिलनाडु की मुख्य मंत्री सुश्री जे0 जयललिता का 5 दिसम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष की थीं।

सुश्री जयललिता का जन्म 24 फरवरी, 1948 को मांड्या, मैसूर में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1982 में अन्नाद्रमुक की सदस्य बनकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वे वर्ष 1983 में अन्नाद्रमुक की प्रचार विभाग की सचिव बनाई गईं तथा वर्ष 1984 में राज्य सभा सदस्य निर्वाचित हुई। वे वर्ष 1989 में पहली बार विधायक बनीं और उसी के साथ उन्होंने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेन कड़गम की बागडोर संभाल ली। तमिलनाडु विधान सभा में सात बार विधायक रहीं। सुश्री जयललिता वर्ष 1991 में पहली बार तमिलनाडु की मुख्य मंत्री बनी तथा छः बार प्रदेश की मुख्य मंत्री रहीं।

अम्मा के नाम से लोकप्रिय सुश्री जयललिता का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिये कई योजनायें न केवल चलाईं बल्कि उन पर ठोस तरीके से अमल करके भी दिखाया। इन योजनाओं ने ही उन्हें लोकप्रियता के शिखर तक

पहुंचाया। वे एक जानी मानी अभिनेत्री भी रही थीं। उन्होंने कई तमिल, तेलगू, कन्नड़ और हिन्दी फिल्मों में काम किया था।

सुश्री जयललिता गरीबों और वंचितों के लिये प्रतिबद्ध, योग्य प्रशासक तथा करिश्माई नेता थीं। उनका निधन एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत का अवसान है जिसने अपने दम पर न केवल पूरे देश में अपनी पहचान बनाई बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर गहरी छाप भी छोड़ी। सुश्री जयललिता के निधन से देश ने एक अत्यन्त लोकप्रिय, साहसी एवं प्रख्यात नेता खो दिया।

सुश्री जयललिता के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक–संतप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं सदन में व्यक्त शोक–संवेदना मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम सब मृतक की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट मौन खड़े हुए।)

ख12.36, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22–12–2016 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुईं। सभी मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकृत की गयीं।

1–श्री नरेन्द्र सिंह यादव एवं श्री अजीत कुमार की जनपद लखनऊ के सदर बाजार में चुन्नीलाल कुन्नीलाल पुराना धर्मशाला में बड़े पैमाने पर जनता के धन का दोहन तथा ट्रस्टी रघुनाथ गुप्ता द्वारा धन दोहन व धर्मशाला की सुविधाओं को उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है,

2–श्री अजय कुमार 'लल्लू' की रसोइया कल्याण संगठन के कर्मचारियों पर ग्राम प्रधानों व प्रधानाध्यापकों द्वारा मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में है,

3–श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 तथा एन0जी0आर0बी0ए0 द्वारा सीवर की खुदाई से कतिपय क्षेत्रों की सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में है,

4–श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र स्थित पूरन नगर तिराहे से मानक नगर स्टेशन तथा मानक नगर स्टेशन से नहर तक सड़क के दोनों फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाये जाने तथा ऊंचा कराये जाने के सम्बन्ध में है,

5–श्री पंकज मलिक की जनपद शामली में जाम की समस्या से निजात पाने के लिये बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में है,

6–श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में आवास विकास परिषद् द्वारा सेक्टर–8 में जर्जर हो चुकी सड़क व नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

7–ठा0 दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

8–श्री विनोद तिवारी की जनपद सिद्धार्थनगर, विकास खण्ड उस्का बाजार के ग्राम महदेवा खुर्द, पोस्ट चौरी महुलानी में कृषि योग्य भूमि की ऊंचाई नहर से अधिक होने के कारण सूख जाने के सम्बन्ध में है,

9–श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा नगर पालिका परिषद् को नगर विकास विभाग द्वारा नगर निगम बनाये जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में मुख्य मंत्री की घोषणा पर अमल किये जाने के सम्बन्ध में है,

10–श्री संजय प्रताप जयसवाल की जनपद बस्ती के विद्युत उपभोक्ताओं को सही ढंग से विद्युत आपूर्ति किये जाने तथा ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है,

11–श्रीमती श्रद्धा यादव की जनपद उन्नाव में गंगा सिटी योजना के अन्तर्गत आवेदकों को आवास आवंटन में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में है,

12–श्री राम चन्द्र चौधरी की लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा अपर निजी सचिव चयन परीक्षा, 2010 की कम्प्यूटर टर्मिनल परीक्षा में इण्टरनेट तथा लाइनेक्स को उपलब्ध न कराये जाने के बावजूद उन पर दिये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में है,

13–श्री भगवती प्रसाद की जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत राम नगर के मो0 घमेड़ी के अन्तर्गत मार्ग का अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है,

14–श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में कतिपय प्रस्तावित क्षेत्र पंचायतों के गठन किये जाने के सम्बन्ध में है,

15–श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर के ब्लाक सरदार नगर के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त/जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

16–श्री उमाशंकर की जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नये ट्रांसफार्मर लगाने व पुराने ट्रांसफार्मर की क्षमता उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है,

17–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की प्रदेश में भारत साक्षरता मिशन में लोक शिक्षा केन्द्रों पर कार्यरत प्रेरकों का मानदेय 10,000/– रुपया किये जाने के सम्बन्ध में है,

18–श्री दीपक पटेल की जनपद इलाहाबाद थाना हड़ैया से लापता संजय कुमार पटेल के अभियुक्तों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में है,

19–श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा, विकास खण्ड खेरागढ़ के सी0ए0टी0के0 मार्ग से डांडा होते हुए कुल्हाड़ा मोड़ तक के मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

20–श्री गया चरण दिनकर की उ0 प्र0 के कमजोर व मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिये संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में की गयी धांधली के लिये जिम्मेदारों/दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में है,

21–श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की बिलासपुर में बार–बार विधान सभा में मुद्दा उठाने के बावजूद मुंसिफ कोर्ट न खोले जाने के सम्बन्ध में है,

22–श्री दलजीत सिंह की जनपद बांदा समेत पूरे बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में जंगली व अन्ना जानवर के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचाये जाने से हो रही किसानों की तबाही के सम्बन्ध में है,

23–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जनपद मेरठ नगर की जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है,

24–श्री गयादीन अनुरागी की जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र सहित समस्त बुन्देलखण्ड में जंगली व अन्ना जानवर के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचाये जाने से हो रही किसानों की तबाही के सम्बन्ध में है,

25–श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

26–श्री सुनील कुमार लाला की जनपद लखीमपुर खीरी के कस्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डी समिति की कतिपय जर्जर सड़कों के सम्बन्ध में है,

27–श्री अनीसुर्रहमान की जनपद सम्भल की कांठ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सलेमपुर–महकलपुर मार्ग पर गंगा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है,

28–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

29–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की जनपद लखीमपुर की तहसील धौरहरा में ग्राम खंरिया पंडित में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है,

30–श्री राज नारायण बुधौलिया की जनपद महोबा में जिला कारागार के नये भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

31–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली के पोलों में तार न खींचे जाने के सम्बन्ध में है,

32–श्री अरुण कुमार की जनपद बरेली की शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय कालोनियों में बिजली के टूटे खम्भों एवं बांस–बल्लियों के माध्यम से की जा रही विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में है,

33–श्री सन्त प्रसाद की भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा–35/39 को निरसित कराने पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है,

34–श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्ध में है,

35–श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेश सिंह की जनपद खीरी की तहसील धौरहरा में दोहरा नाले पर बना क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा

36–श्री देव नरायन उर्फ जी0एम0 सिंह की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पाली के कतिपय सम्पर्क मार्गों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।

(सदन की सहमति से संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद लखनऊ के सदर बाजार में चुन्नीलाल कुन्नीलाल पुराना धर्मशाला में बड़े पैमाने पर जनता के धन का दोहन तथा ट्रस्टी रघुनाथ गुप्ता द्वारा धन दोहन व धर्मशाला की सुविधाओं को उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह यादव एवं श्री अजीत कुमार–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान लखनऊ सदर बाजार स्थित चुन्नीलाल कुन्नालाल पुराना धर्मशालों की ओर ले जाना चाहता हूं जहां एक फ्लोर रुपया 11,000 में दो दिन के लिये आवंटित किया जाता है श्री रघुनाथ गुप्ता जो सदर के बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं अपने आपको इस धर्मशाले का ट्रस्टी बताते हैं। विगत कई वर्षों से अवैध वसूली की जा रही है। सुविधा के नाम पर कोई सुविधा मुहईया नहीं कराई जाती तथा धर्मशाले के साथ संलग्न बिस्तर व कुर्सियाँ नहीं उपलब्ध करायी जाती तथा लोगों का दोहन एवं उत्पीड़न होता है।

मान्यवर लोक महत्व के प्रश्न में मैं कार्यवाही की मांग करता हूं कि प्रकरण की जांच करा कर धर्मशाला का निर्धारित किराया ही जनता से लिये जाने तथा सभी

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सुविधायें एवं पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराये तथा दोषी श्री रघुनाथ गुप्ता पर वैधानिक कार्यवाही कराते हुये उत्तर दिलाने का कष्ट करें।,

रसोइया कल्याण संगठन के कर्मचारियों पर ग्राम प्रधानों व प्रधानाध्यापकों द्वारा मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

ख्महोदय, लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि रसोइया कल्याण संगठन के समस्त रसोइया संघ के द्वारा अवगत कराया गया है कि यह लोग प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में भोजन बनाने का कार्य करती हैं तथा न्यूनतम वेतन व दबाव में रहकर इनको कार्य करना पड़ता है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा इनके बावत कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। सारी रसोइयाँ ग्राम प्रधानों व प्रधानाध्यापकों की मनमानी की शिकार हैं। अन्य दूसरे रसोइयों से मोटी रकम लेकर ग्राम प्रधान अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु इन प्रार्थिनी रसोइयों को निकाल दिये हैं। पाल्य व्यवस्था से निकाल दिये जाने के कारण ये असहाय हो गयी हैं तथा जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा भी छिन गया है। इनकी समस्या का निस्तारण करने व इनको स्वतंत्र करते हुये अपने आप रिनिवल कर ग्राम प्रधानों व प्रधानाध्यापकों से अधिकार वापस लेते हुये इनके वेतन भत्ते को लगभग रु0 6000/–(छः हजार रुपये) प्रतिमाह किया जाना अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त प्रकरण पर शासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 तथा एन0जी0आर0वी0ए0 द्वारा सीवर की खुदाई से कतिपय क्षेत्रों की सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्महोदय, इलाहाबाद में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 प्रथम चरण तथा एन0जी0आर0बी0ए0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत सीवर की खुदाई हो रही है। इससे नगर क्षेत्र के सिविल लाइन्स, मधवापुर, बैरहना, सोहबतियाबाग, अल्लापुर, छोटा बघाड़ा, ढरहरिया, रामप्रिया रोड, सादियाबाद, चांदपुर सलोरी, ओम गायत्रीनगर, बड़ी बगिया, लाला की सर्रैया, स्वराज्य नगर, शिवकुटी, महाबीरपुरी, पूरा–गड़ेरिया, सरायू कॉलोनी, एम0एन0आई0टी0, गोविन्दपुर, चिल्ला, कोयलाकॉडी, ऊँचवागढ़ी, गंगानगर, नेवादा, कीडगंज, हीवेट रोड, जानसेनगंज, मुठ्ठीगंज, प्रीतमनगर, आदि की सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बच्चे–बुजुर्ग, महिलायें और नागरिकगण का चलना–फिरना दूभर हो

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया है। धूल से लोग अस्थमा, ऑख एवं श्वॉस के रोग से बुरी तरह पीड़ित हो रहे हैं। जनता में भारी असंतोष है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त मुहल्लों में सीवर लाइन का कार्य अविलम्ब पूर्ण कराने, क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण अतिशीर्घ कराने तथा सीवर व्यवस्था चालू कराने की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र स्थित पूरन नगर तिराहे से मानक नगर स्टेशन तथा मानक नगर स्टेशन से नहर तक सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाये जाने तथा ऊँचा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान लखनऊ शहर के आलमबाग क्षेत्र स्थित पूरन नगर तिराहे से मानक नगर स्टेशन तथा मानक नगर स्टेशन से नहर तक सड़क के दोनों ओर फुटपाथ को ऊँचा किये जाने तथा फुटपाथ पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मानक नगर स्टेशन से नहर तक फुटपाथ को ऊँचा किये जाने से सड़क पर भारी मात्रा में जलभराव होता है तथा सड़क पर 05 फुट से 07 फुट तक गड्ढे हो जाते हैं, जिससे आवागमन में जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिस कारण जनता में काफी असन्तोष व्याप्त है।

कृपया उक्त फुटपाथों को सड़क से नीचे किये जाने तथा पानी निकासी हेतु गहरे नाले के निर्माण हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें।,

जनपद शामली में जाम की समस्या से निजात पाने के लिये बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज मलिक–

ख्महोदय, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र–शामली, जनपद–शामली का शामली शहर जो कि जनपद का मुख्यालय भी है, में लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। यहां घण्टों–घण्टों जाम रहता है। भारी वाहनों एवं छोटे वाहनों की लम्बी लाइन लगी रहती है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों, हास्पिटल जाने वाले गम्भीर मरीज, स्थानीय लोगों को काफी असुविधा होती है। इस समस्या का समाधान होना जनहित में आवश्यक है। इसके लिये शासन में जो बाई–पास शामली–बलवा–बनत–सिम्भालका–दिल्ली–सहारनपुर रोड तक बनाये जाने का प्रस्ताव शासन में लम्बित है, जिस पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही करते हुये उक्त बाई–पास बनाया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण पर प्रदेश में लागू होने वाली आचार संहिता के पूर्व कार्यवाही करते हुये उक्त प्रस्ताव को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा तत्काल बनाये जाने हेतु निर्देश पारित किया जाना अतिआवश्यक है। प्रकरण जनहित, अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये शामली–बलवा–बनत–सिम्भालका–दिल्ली–सहारनपुर रोड तक बाई–पास बनाये जाने हेतु तत्काल आदेश पारित करने की कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा में आवास विकास परिषद् द्वारा सेक्टर–8 में जर्जर हो चुकी सड़क व नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा में सड़क व नाली निर्माण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

सेक्टर–8 आ0वि0का0, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विकसित क्षेत्र की सड़क व नाली जर्जर हो चुकी है। जिससे वहां के नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्र की जनता में इसके कारण भारी रोष है। जनहित में सड़क व नाली का निर्माण शीघ्र से शीघ्र होना अति आवश्यक है।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त सड़क व नाली निर्माण की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

ख्महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ में निम्नलिखित छोटे–छोटे मार्ग अति क्षतिग्रस्त हैं। इन मार्गों से आम जनता का निकलना असम्भव जैसा है। इन मार्गों पर जल भराव की समस्या अधिक रहती है।

1–चण्डौस डाबर रेलवे स्टेशन मार्ग के ग्राम ताजपुर का आबादी भाग।

2–चण्डौस जहराना मार्ग के ग्राम जहराना का आबादी भाग।

3–ग्राम साथा रेलवे स्टेशन मार्ग।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त मार्गों के मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर, विकास खण्ड उस्का बाजार के ग्राम महदेवा खुर्द, पोस्ट चौरी महुलानी में कृषि योग्य भूमि की ऊँचाई नहर से अधिक होने के कारण सूख जाने के सम्बन्ध में

नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद तिवारी–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सिद्धार्थनगर, विकास खण्ड–उस्का बाजार के ग्राम महदेवा खुर्द, पोस्ट चौरी महुलानी में राधेश्याम मिश्र पुत्र स्व0 वंशमणि मिश्र, नवरातन यादव पुत्र स्व0 फागू यादव, विनय शुक्ल पुत्र स्व0 रमाशंकर शुक्ल, ओसारे यादव पुत्र स्व0 सुचित यादव जिनकी खतौनी संख्या–193, 195, 188, 190, 194, 196, 197 आदि की लगभग 600 एकड़ कृषि योग्य भूमि स्थित हैं सिंचाई हेतु मुख्य नहर की उप शाखा कृषि भूमि के पास से गुजरती है परन्तु उप शाखा होने के कारण एवं कृषि भूमि की ऊँचाई नहर से अधिक होने के कारण प्रायः सिंचाई के अभाव में फसलें सूख जाती है जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति पहुंचती है किसान बेहद ही मजबूर एवं बेबश है उक्त ग्राम सभा की कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगवाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा नगर पालिका परिषद् को नगर विकास द्वारा नगर निगम बनाये जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में मुख्य मंत्री की घोषणा पर अमल किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर–

ख्महोदय, आपके माध्यम से सदन को एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि मथुरा नगर पालिका परिषद् को वर्तमान समय में जबर्दस्त विस्तार हो जाने तथा उसमें मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी ने मथुरा को नगर निगम बनाये जाने की घोषणा पूर्व में की थी। उक्त घोषणा के अनुरूप नगर विकास विभाग द्वारा मथुरा नगर पालिका परिषद् को नगर निगम बनाये जाने हेतु सीमा विस्तार की कार्यवाही शासन में प्रगति पर है तथा शीघ्र ही उस पर सरकार की कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त होने की सम्भावना है। नगर पालिका के सीमा विस्तार के अनुमोदन के पश्चात् मथुरा नगर पालिका परिषद् (ए–ग्रेड) को नगर निगम बनाये जाने हेतु शासन के नगर विकास विभाग के अधीन नगर विकास अनु0–7 द्वारा नगर निगम बनाये जाने का प्रस्ताव बनाकर उक्त प्रस्ताव का विधिवत् परीक्षण कर उसको कैबिनेट से अथवा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन पारित प्रदेश में आगामी विधान सभा चुनाव हेतु जारी होने वाली आदर्श आचार संहिता से पूर्व कराने हेतु शीघ्र कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है। उक्त कार्यवाही से मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा वर्तमान सरकार के ही कार्यकाल में पूर्ण हो जायेगी। नगर निगम बन जाने से मथुरा नगर मूलभूत सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा एवं इससे यहां की जनता को भी लाभ होगा। इसलिये मथुरा को शीघ्र नगर निगम बनाये जाने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा तात्कालिक रूप से कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये नगर विकास विभाग द्वारा मथुरा को नगर निगम बनाये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से अथवा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन पास कराकर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा को पूर्ण करने हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती के विद्युत उपभोक्ताओं को सही ढंग से विद्युत आपूर्ति किये जाने तथा ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल–

ख्महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा अभियान चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 1350/–रु0 प्रति कनेक्शन जमा कराकर विद्युत कनेक्शन दिये जाने का आश्वासन दिया गया था। योजना के अन्तर्गत अधिकांश परिवार को कनेक्शन भी दिया गया। परन्तु विभाग द्वारा स्थापित किये गये ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि न किये जाने के कारण से तथा तारों के जर्जर होने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को लो–वोल्टेज के साथ–साथ लाइन ट्रिपिंग की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। आवश्यक क्षमता के अभाव में ट्रांसफार्मर बार–बार जल रहे हैं। कहीं–कहीं तो ट्रांसफार्मर बदलने के बाद ही दो तीन दिन में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। उक्त के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के द्वारा तथा मेरे द्वारा भी विभाग से पत्राचार किया गया परन्तु अधिकारियों के द्वारा समस्या का संज्ञान न लेने के कारण स्थिति पूर्ववत् बनी हुई है। सरकारी आदेश के अनुसार तो ट्रांसफार्मर बदले जाने की समय–सीमा 72 घण्टे निर्धारित किया गया है लेकिन कई–कई हफ्ते बीत जाते हैं ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते हैं।

विद्युत उपभोक्ताओं को सही ढंग से विद्युत आपूर्ति हो सके इसके लिये मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि किये जाने की अति आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद उन्नाव में गंगा सिटी योजना के अन्तर्गत आवेदकों को आवासीय आवंटन में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती श्रद्धा यादव–

ख्महोदय, मैं माननीय सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व एवं जनहित के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर द्वारा जनपद उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी योजना के अन्तर्गत मई, 2016 में आवेदकों को आवासीय प्लाट आवंटन किये गये थे। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 ने एलाटमेन्ट लेटर में प्लान्ट के आवंटन की तिथि से बकाया धनराशि की 14 प्रतिशत ब्याज सहित गणना करके उसे आगामी कई वर्षों के लिये अर्द्धवार्षिक किश्तों में जमा करने के प्लान की व्यवस्था की है। ऐसे आवंटी जो इस प्लान को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं धनराशि को एकमुश्त कुछ महीनों में जमा करना

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चाह रहे हैं उनसे भी यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एलाटमेन्ट डेट से ही अवशेष धनराशि पर 14 प्रतिशत ब्याज की मांग की जा रही है, जो सर्वथा अनुचित है। उत्तर प्रदेश सरकार के विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद् इत्यादि सभी संस्थाओं की नीति है कि एलाटमेन्ट डेट के पश्चात् कम से कम दो अथवा तीन माह का समय आवंटियों को धनराशि जमा करने का समय दिया जाता है और उक्त अवधि के बाद ही अवशेष धनराशि पर ब्याज की गणना की जाती है।

उल्लेखनीय है कि प्लाटों की लाटरी/एलाटमेन्ट के पश्चात् यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की लगभग 15 दिन अथवा उससे अधिक का समय एलाटमेन्ट लेटर तैयार करने तथा डाक डिस्पैच कराने में लगा है और आवंटियों को दो–तीन सप्ताह की बैक डेट से एलाटमेन्ट लेटर मिले हैं। उस अवधि का भी यह आवंटियों से ब्याज मांग रहे हैं। एलाटमेन्ट के समय मौके पर कहीं प्लाट भी नहीं काटे गये थे और अवस्थापना सुविधाओं तक का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। ऐसी दशा में आवंटियों से एलाटमेन्ट डेट से पैसा लेने का कृत्य नियमों के विपरीत है और इस नीति से आवंटियों में घोर असन्तोष व्याप्त है। जनहित में उचित होगा कि शासन स्तर से यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को निर्देश दिये जायें कि ऐसे आवंटी जो उनकी पांच वर्ष की किश्तों के अनुसार प्लान स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं और धनराशि एकमुश्त रूप में कुछेक किश्तों में जमा करवाना चाहते हैं उनसे एलाटमेन्ट की तिथि से कम से कम तीन माह के बाद में ब्याज की गणना कराने का कष्ट करें।

मैं जनहित में उक्त पर सरकार से वक्तव्य की मांग करती हूं।,

लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा अपर निजी सचिव चयन परीक्षा 2010 की कम्प्यूटर टर्मिनल परीक्षा में इण्टरनेट तथा लाइनेक्स का उपलब्ध न कराये जाने के बावजूद उन पर दिये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र चौधरी–

ख्महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के प्रकरण की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2016 को अपर निजी सचिव (उ0प्र0 सचिवालय) चयन परीक्षा–2010 के अन्तर्गत कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा का आयोजन कराया गया था, जिसमें आयोग एवं उनके एक्सपर्ट द्वारा जमकर विज्ञापन नियमों एवं प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। उक्त पद के विज्ञापन में प्राविधानित था कि कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा प्रायोगिक होगी और इसके लिये अभ्यर्थी को कम्प्यूटर टर्मिनल समस्त प्रोग्राम्स के साथ उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी सहायता से अभ्यर्थी कम्प्यूटर पर प्रश्न–पत्र हल करके स्टेप बाई स्टेप उत्तर आन्सर शीट से निर्धारित स्थान पर लिखेंगे।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आयोग द्वारा परीक्षा के आयोजन हेतु जिन एक्सपर्ट को रखा गया उन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि विज्ञापन के पाठ्यक्रम के अनुरूप कम्प्यूटर पर संबंधित प्रोग्राम/साफ्ट्वेयर उपलब्ध कराये जायें जिससे अभ्यर्थी प्रश्नों को हल कर सके। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर लाइसेन्स तथा इण्टरनेट के प्रोग्राम उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे अधिकांश अभ्यर्थी पूछे गये प्रश्न संख्या–1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 तथा 19 को हल नहीं कर सके। प्रश्न संख्या–1, 2 एवं 3 लाइनेक्स से संबंधित थे और प्रश्न संख्या–5, 6, 7, 11 एवं 19 इण्टरनेट से संबंधित थे, यह कुल प्रश्न–पत्र का 40 प्रतिशत भाग रहा। आयोग के विज्ञापन में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन करने के कारण अपर निजी सचिव पद की परीक्षा के अब तक के तीन चरणों में आगे रहने वाले अभ्यर्थियों के मेरिट में पीछे होने तथा बहुत से अभ्यर्थियों के बाहर होने की सम्भावना हो गई है। इसके अतिरिक्त एक्सपर्ट/आयोग ने परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा–निर्देश भी प्रसारित नहीं किये जिसका परिणाम यह रहा कि सारे परीक्षा केन्द्रों में अव्यवस्था रही और एकरूपता नहीं रही। लखनऊ के बंसल कालेज में काफी अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर ही उपलब्ध नहीं कराया गया, इलाहाबाद के शम्भू नाथ इंजी0, संस्थान के समस्त कम्प्यूटरों में विण्डो–2008 का प्रोग्राम इन्स्टाल था जिससे अभ्यर्थियों का काफी समय खराब हो गया, कई केन्द्रों में खराब कम्प्यूटर दिये गये और देर से प्रश्न–पत्र देकर समय से कापी ले ली गई। अभ्यर्थियों ने जब केन्द्र पर उपलब्ध आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी शिकायत लिखकर आयोग को भेजिये। जब आयोग को शिकायतें भेजी गईं तो आयोग ने कोई जांच/कार्यवाही करने की बजाय इन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग–2 (अधि0) द्वारा कई शिकायती–पत्र आयोग को भेजे गये हैं, लेकिन आयोग हठधर्मिता अपनाये हुये है और येन–केन–प्रकारेण अपनी त्रुटि को छिपाते हुये उन पत्रों पर जांच इत्यादि न कराकर परीक्षा परिणाम घोषित करने का प्रयास कर रहा है, जिसका परिणाम यह होगा कि रिजल्ट घोषित होने के उपरान्त प्रभावित अभ्यर्थी न्यायालय में जायेंगे और यह भर्तियां लम्बे समय के लिये व्यवधानित होंगी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी आयोग एवं उनके द्वारा सम्बद्ध किये गये एक्सपर्ट की कार्य'प्रणाली को अनुचित मानते हुये कई परीक्षाओं के परिणाम निरस्त कर दिये गये हैं और भविष्य में अच्छे एक्सपर्ट को भी सम्बद्ध करने के निर्देश दिये गये हैं। इस कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा हेतु सम्बद्ध किये गये एक्सपर्ट भी सम्भवतः इसी प्रकार के रहे हैं जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। जनहित एवं अभ्यर्थियों के हित में नियम विरुद्ध सम्पन्न उक्त कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा को निरस्त कराकर पुनः परीक्षा आहूत करवाने अथवा संबंधित प्रश्नों को प्रश्न–पत्र से, डिलीट कराकर ही अंकों की गणना कराया जाना उचित होगा।

मैं सदन के माध्यम से उक्त पर वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत रामनगर के मो0 धमेड़ी के अन्तर्गत मार्ग का अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद–

ख्महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद बाराबंकी नगर पंचायत रामनगर मोहल्ला धमेड़ी के डा0 रविशंकर पाण्डेय के घर के सामने नगर पंचायत की मुख्य मार्ग जिस पर खड़न्जा लगा था। जो मुस्लिम आबादी में जाकर मिलता है। उक्त मार्ग को कन्हैया लाल पाण्डेय पुत्र श्री श्रीराम पाण्डेय एवं पूत पाण्डेय पुत्र श्री नवलकिशोर पाण्डेय द्वारा जबरन कब्जा करके बन्द कर दिया गया है। जिससे आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। इस समस्या के समाधान हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामनगर को भी लिखित अवगत कराया गया। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उक्त मुख्य मार्ग को कब्जा मुक्त भी नहीं कराया गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त नगर पंचायत रामनगर मोहल्ला धमेड़ी के डा0 रविशंकर पाण्डेय के घर के सामने नगर पंचायत की मुख्य मार्ग जो मुस्लिम आबादी में जाकर मिलता है। उक्त मार्ग पर अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद पीलीभीत में कतिपय प्रस्तावित क्षेत्र पंचायतों के गठन किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

ख्महोदय, जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत तीन तहसीलें पीलीभीत, बीसलपुर एवं पूरनपुर जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यधिक बड़ी वर्तमान में हैं। परिणामतः शासन द्वारा उक्त दो तहसीलों पीलीभीत एवं पूरनपुर का विभाजन कर दो अन्य तहसीलें अमरिया एवं कलीनगर के नाम से गठित की गयी हैं। ज्ञातव्य हो कि क्षेत्र पंचायत पूरनपुर एशिया की सबसे बड़ी क्षेत्र पंचायत है जिसके अन्तर्गत दो नवीन क्षेत्र पंचायतें गजरौला कला एवं माधौटांडा गठित किये जाने का प्रस्ताव है तथा तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत एक नवीन क्षेत्र पंचायत दियोरियाकला के नाम से तथा तहसील पीलीभीत (पुरानी) के अन्तर्गत भमौरा नामक नवीन क्षेत्र पंचायत के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। भूमि की उपलब्धता तथा कथित क्षेत्र पंचायतों की अपरिहार्यता के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों द्वारा भी संस्तुति भी की गयी है। आवश्यकता को दरकिनार कर राजनैतिक दृष्टि से उ0प्र0 में 30 क्षेत्र पंचायतों के गठन के लिये मंत्रि–मण्डल द्वारा संस्तुति की गयी है परन्तु जनपद पीलीभीत में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र पंचायतों का गठन नहीं हुआ है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोकमहत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हुये वांछनीय कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक सरदार नगर के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त/जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला गोरखपुर के ब्लाक–सरदार नगर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा बाल बुजुर्ग बनसहिया मार्ग से रामघाट मझने नाला तक के सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त/जर्जर होने एवं उक्त सड़क का निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त सड़क का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, वर्षा के समय पर सड़क जगह–जगह पर तालाब का रूप ले लेती है एवं वर्षा के कारण उक्त सड़क कई जगह पर बह गयी है तथा सड़क में बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं एवं सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिसके कारण राहगीरों के साथ आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं और क्षेत्रीय जनता का आवागमन लगभग पूर्णतः बन्द हो गया है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन तथा सरकार से ग्राम सभा बाल बुजुर्ग बनसहिया मार्ग से रामघाट मझने नाला तक सड़क का यथाशीघ्र निर्माण करने हेतु कई बार अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार से उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नये ट्रांसफार्मर लगाने व पुराने ट्रांसफार्मर की क्षमता उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमा शंकर–

ख्महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा रसड़ा में मेरे द्वारा अपनी क्षेत्रीय विकास निधि से वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक नये ट्रांसफार्मर लगाने व पुराने ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रस्तावित सूची जिसका सर्वेक्षणोपरान्त आगणन वगैरह तैयार होने के पश्चात् सम्पूर्ण भुगतान विद्युत विभाग को किया जा चुका है परन्तु आज तक इतना समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी सम्पूर्ण कार्य विद्युत विभाग द्वारा नहीं कराया गया है।

इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अधिकारियों से बार–बार अनुरोध किया जाता रहा है कि जनहित में सम्पूर्ण प्रस्तावित व भुगतानित ट्रांसफार्मरों को अविलम्ब लगवाया जाए परन्तु विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनियमित तरीके से हीला–हवाली करते हुए मात्र आश्वासन की नीति पर कार्य किया जा रहा है जिससे क्षेत्र का विकास कार्य बाधित होने के साथ ही साथ सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् भी कार्य न करने से वहां की जनता के साथ विद्युत विभाग द्वारा अन्याय किया जा रहा है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तावित व सर्वेक्षणोपरान्त आगणन तैयार कर विद्युत विभाग को भुगतान किये गये समस्त नये ट्रांसफार्मर व पुराने ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने हेतु शासन,

प्रदेश में भारत साक्षरता मिशन में लोक शिक्षक केन्द्रों पर कार्यरत प्रेरकों का मानदेय 10,000/– रुपया किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश में भारत साक्षरता मिशन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर साक्षरता दर बढ़ाये जाने के उद्देश्य से लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गयी है। जिसमें प्रत्येक केन्द्र पर दो प्रेरकों की नियुक्तियां की गई हैं। जिनका मानदेय वर्तमान में 2000 रु0 निर्धारित है और वर्तमान में महंगाई के दृष्टिगत परिवार का भरण–पोषण सम्भव नहीं हो पा रहा है और न ही उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। जिससे प्रेरकों के मन में कुन्ठा व्याप्त हो रही है। जबकि भारत साक्षरता मिशन की सफलता में इनका अहम योगदान है। प्रेरकों के प्रदेश स्तरीय संगठन ने कई बार मा0 मुख्य मंत्री जी एवं अन्य सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपना मानदेय 10 हजार रुपये किये जाने हेतु आग्रह किया गया और मानदेय बढ़ाये जाने पर विचार किये जाने का आश्वासन भी दिया गया लेकिन अभी तक मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कोई पहल नहीं हुई है। जिससे प्रदेश भर के प्रेरकों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से वक्तव्य के साथ ही साथ प्रदेश में लोक शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत प्रेरकों का मानदेय 10 हजार रुपये किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद, थाना हंडिया से लापता संजय कुमार पटेल के अभियुक्तों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि संजय कुमार पटेल पुत्र श्री रामचन्द्र पटेल, निवासी ग्राम सरायं सैदाबाद, थाना–हंडिया, जनपद इलाहाबाद दिनांक 6 अक्टूबर से लापता है। इनके परिवारीजनों द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में सम्बन्धित थाना हंडिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परिवारीजनों को पूरी आशंका है कि प्रधान के चुनाव की रंजिश के कारण गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा संजय कुमार का अपहरण करके हत्या कर दी गई है। इस हेतु परिवारीजनों के द्वारा सम्बन्धित थाना हंडिया में नामजद तहरीर दी गई है किन्तु स्थानीय थाने की पुलिस के द्वारा इस तहरीर को संज्ञान लेकर न तो मुकदमा लिखा जा रहा है और न ही अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा विकास खण्ड खेरागढ़ के सी0ए0टी0के0 मार्ग से डांडा होते हुए कुल्हाड़ा मोड़ तक के मार्ग को विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0–खेरागढ़ के सी0ए0टी0के0 मार्ग से डांडा होते हुए कुल्हाडा मोड़ तक मार्ग की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कार्य कराने हेतु पूर्व में कई वर्षों से लगातार विधान सभा सत्र में उठाया गया था, किन्तु उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित विभाग द्वारा अभी तक केवल आगणन ही शासन में प्रस्तुत किया गया है। किन्तु अभी तक व्यवहारिक तौर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता को उपरोक्त जर्जर सड़क के कारण एवं बरसात के समय पानी भरने से आस–पास के अनेकों गांव का सम्पर्क टूट जाता है एवं आने–जाने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण पानी में पैदल चलकर निकलना भी दूभर हो गया है। सड़क निर्माण/विशेष मरम्मत न होने से क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के मध्यम से उपरोक्त निर्माण कार्य का विभाग द्वारा केवल आगणन प्रस्तुत कर पत्रावली शासन में लम्बित है। उपरोक्त मार्ग की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कार्य हेतु धन आवंटित की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।,

उत्तर प्रदेश के कमजोर व मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए संचालित योजनओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में की गयी धांधली के लिए जिम्मेदारों/दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

नेता विरोधी दल (श्री गया चरण दिनकर)–

ख्महोदय, उ0प्र0 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को जनवरी, 2015 में लागू करने के पश्चात् लगभग 02 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर व मध्यम वर्ग के 60 से 70 प्रतिशत नागरिक/परिवार पात्र गृहस्थी के राशन कार्डों से वंचित हैं। विगत दो वर्ष से रियायत दर का खाद्यान्न व सामाग्री के अभाव में उ0प्र0 की बहुसंख्यक आबादी भूख व अभाव से जूझ रही है। जबकि एक बार नहीं तीन–तीन, चार–चार बार आनलाइन के बहाने प्रत्येक से 300 से 400 रुपये और छीन लिये गये। इसी प्रकार मनरेगा के अन्तर्गत प्रयुक्त श्रमिकों से काम कराने के बाद विगत 5–6 माह से उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। विभिन्न विभागों में संविदा पर लगे संविदा कर्मियों को वर्षों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। शादी अनुदान, बीमारी अनुदान, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना व कृषि निवेश अनुदान भी अधिकांशतः लम्बित है। अति वृष्टि से प्रभावित परिवारों को अहेतुक सहायता, गृह अनुदान व पुनर्वास की व्यवस्था व अनु0जा0/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों में अत्याचार से प्रभावित व पीड़ित परिवारों को शासन द्वारा निर्धारित आर्थिक सहायता भी प्रदान नहीं की गई। सम्बन्धित प्रशासन व लोक सेवक तथा सरकार इसके लिये पूर्णतः जिम्मेदार व दोषी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 सरकार के प्रभावी, जवाबदेह व समयबद्ध कार्यवाही व निवारण किये जाने के आदेश जारी करने की कृपा करें।,

जनपद रामपुर की बिलासपुर में बार–बार विधान सभा में मुद्दा उठाने के बावजूद मुंसिफ कोर्ट न खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं यह तहसील उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर स्थित है तथा यह तहसील जनपद रामपुर मुख्यालय से लगभग 60 कि0मी0 दूर तक फैली है तथा पीड़ित को न्याय में बहुत समय लग जाता है तथा धन भी अधिक खर्च होता है जबकि सरकार का वादा सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने का है जनपद मुख्यालय पर अधिक मुकदमे होने के कारण समय बहुत लग जाता है जिसके कारण देरी से मिला न्याय निरर्थक हो जाता है मेरे द्वारा बहुत बार विधान सभा में इस समस्या को उठाया गया है जिसके बाद यहां पर ग्रामीण न्यायालय खोले जाने का आदेश शासन द्वारा किया है मगर काफी प्रयास के बाद भी यहां पर न्यायालय की स्थापना नहीं हुई है यहां पर न्यायालय का कक्ष तैयार है तथा सभी औपचारिकतायें पूर्ण होकर पत्रावली शासन में लम्बित है जिसके कारण जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है तथा बराबर जनता व वकील अपनी परेशानी अधिकारियों के सामने रख रहे हैं मगर सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बांदा समेत पूरे बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में जंगली व अन्ना जानवर के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचाये जाने से हो रही किसानों की तबाही के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह–

ख्महोदय, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद बांदा समेत पूरे बुन्देलखण्ड के सातों जनपदों में अन्ना जानवरों के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जंगली एवं अन्ना जानवर यहां की एक विकराल समस्या बन गये हैं। बुन्देलखण्ड में पिछले कई वर्षों से लगातार सूखा पड़ने के कारण यहां के निवासी एवं किसान अपने जानवरों को ऐसे ही खुला छोड़ दिये हैं। उनकी यह संख्या हजारों–हजार हो गयी है, जो कि खुले रूप में सड़कों पर इधर–उधर बैठे रहते हैं तथा किसानों की बहुमूल्य फसल तबाह करते हैं। इस बार अच्छी बरसात होने के कारण ज्यादातर किसानों ने अपनी रबी की फसल की बुआई की थी, किन्तु उक्त अन्ना जानवरों के कारण उनकी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। यहां के किसान सूखा, बेरोजगारी, सिंचाई का पर्याप्त साधन न होने की वजह से आत्महत्या करने, कर्जग्रस्त होने से आत्महत्या करते रहते हैं, वहीं अन्ना पशु द्वारा उनकी फसल बर्बाद करना भी एक विकराल समस्या हो गयी है। रात–रात भर किसान जगकर अपनी फसल की रखवाली करने को मजबूर हैं। वर्तमान में नोटबन्दी के बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार से अपनी रबी की फसल हेतु खाद एवं बीज की व्यवस्था करके उन्हें बोया है, किन्तु उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। उनमें सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। वह कई बार जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, किन्तु सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही कोई गौशालाएं ही खोली गयीं। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा यहां के सभी जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाएं बनवा कर उनमें इन अन्ना/छुट्टा जानवरों को रखवाने तथा उनके खाने–पीने की व्यवस्था कराया जाना जनहित में आवश्यक है। प्रकरण जनहित, अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बुन्देलखण्ड में अन्ना जानवरों से किसानों को हो रही तबाही को तत्काल रोकने हेतु शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मेरठ नगर की जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

ख्महोदय, बार–बार आग्रह के बावजूद मेरठ की जल निकासी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण अभी तक सम्भव नहीं हुआ है।

मेरठ की जल निकासी के लिये ओडियन नाला आकूनाल 1 व 2 है, जो काली नदी में जाकर गिरते हैं। काली नदी का स्तर ऊंचा है। सफाई नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण उपरोक्त तीनो नालों में पानी भरा रहता है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ब्रह्मपुरी, मास्टर कालोनी, इन्द्रानगर, भगवतपुरा, लक्ष्मणपुरी, हरिनगर, पुरवाइलाही बख्श आदि मोहल्ले की नाली बन्द रहती है।

पहले काली नदी, फिर ओडियन नाला, आकू नाला की प्रभावी सफाई की आवश्यकता है, जो नहीं हो रही है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र सहित समस्त बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में जंगली व अन्ना जानवर के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचाये जाने में हो रही किसानों की तबाही के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयादीन अनुरागी–

ख्महोदय, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र राठ, जनपद हमीरपुर समेत पूरे बुन्देलखण्ड के सातों जनपदों में अन्ना जानवरों के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जंगली एवं अन्ना जानवर यहां की एक विकराल समस्या बन गये हैं। बुन्देलखण्ड में पिछले कई वर्षों से लगातार सूखा पड़ने के कारण यहां के निवासी एवं किसान अपने जानवरों को ऐसे ही खुला छोड़ दिये हैं। उनकी यह संख्या हजारों–हजार हो गयी है, जो कि खुले रूप में सड़कों पर इधर–उधर बैठे रहते हैं तथा किसानों की बहुमूल्य फसल तबाह करते हैं। इस बार अच्छी बरसात होने के कारण ज्यादातर किसानों ने अपनी रबी की फसल की बुआई की थी, किन्तु उक्त अन्ना जानवरों के कारण उनकी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। यहां के किसान सूखा, बेरोजगारी, सिंचाई का पर्याप्त साधन न होने की वजह से आत्महत्या करने, कर्जग्रस्त होने से आत्महत्या करते रहते हैं, वहीं अन्ना पशु द्वारा उनकी फसल बर्बाद करना भी एक विकराल समस्या हो गयी है। रात–रात भर किसान जगकर अपनी फसल की रखवाली करने को मजबूर हैं। वर्तमान में नोटबन्दी के बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार से अपनी रबी की फसल हेतु खाद एवं बीज की व्यवस्था करके उन्हें बोया है, किन्तु उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। उनमें सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। वह कई बार जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, किन्तु सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही कोई गौशालाएं ही खोली गयीं। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा यहां के सभी जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाएं बनवाकर उनमें इन अन्ना/छुट्टा जानवरों को रखवाने तथा उनके खाने–पीने की व्यवस्था कराया जाना जनहित में आवश्यक है। प्रकरण जनहित, अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विधान सभा क्षेत्र–राठ, जनपद–हमीरपुर समेत बुन्देलखण्ड में अन्ना जानवरों से किसानों की हो रही तबाही को तत्काल रोकने हेतु शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सहारनपुर नगर के अति अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।

सहारनपुर नगर व आसपास के क्षेत्रों में आये दिन गम्भीर दुर्घटनायें होती रहती हैं जिससे रोजाना कोई न कोई मृत्यु हो रही है। यदि विगत दो माह के आंकड़ें देखे जायें तो कम से कम 50 मौतें हो चुकी हैं। इनके अतिरिक्त भी कई मौतें हुई हैं जिनके आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

सहारनपुर तीन राज्यों–हरियाणा, हिमांचल एवं उत्तराखण्ड से लगा हुआ है। धार्मिक नगरी हरिद्वार आने–जाने हेतु पंजाब, हरियाणा, हिमांचल, राजस्थान, जम्मू–कश्मीर आदि राज्यों का एकमात्र रास्ता सहारनपुर से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड एवं हिमांचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर आने–जाने हेतु पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली का एक मात्र रास्ता सहारनपुर होकर गुजरता है। उत्तराखण्ड के औद्योगिक क्षेत्र देहरादून, हरिद्वार, ज्वालापुर, रूड़की, भगवानपुर में आने जाने हेतु उपरोक्त राज्यों का एकमात्र मार्ग भी सहारनपुर होकर जाता है। हरियाणा के जमुनानगर में प्लाई का बहुत बड़े–बड़े उद्योग स्थित हैं जिसके कच्चे माल की सप्लाई सहारनपुर, बिजनौर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर व मेरठ से होती है जिसके कारण रोजाना हजारों की संख्या में ट्रैक्टर–ट्रालियां भी गुजरती हैं।

सहारनपुर का मुख्य मार्ग कम चौड़ाई वाले हैं जिस कारण दूसरे राज्यों से आने–जाने वाले भारी व हल्के वाहनों की आवाजाही से उन मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है और आये दिन कोई न कोई दुर्घटना घटित हो रही है। सहारनपुर का ट्रांसपोर्ट नगर देहरादून स्थित बनकर तैयार है लेकिन अब तक वहां पर ट्रांसपोर्ट संबंधी कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है जिस कारण ट्रांसपोर्ट का सारा कार्य शहर के अन्दर से संचालित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा पंचकूला, हरिद्वार हाई–वे का निर्माण जिसमें सहारनपुर का बाईपास शामिल है बनाया जाना प्रस्तावित है परन्तु सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में बहुत ही धीमी गति से जमीनों का अधिग्रहण आदि का कार्य किया जा रहा है जिस कारण केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी उपरोक्त योजना लम्बित है और जनता को रोजाना की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रोजाना घटित होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुये सहारनपुर जनपद में दिल्ली रोड से अम्बाला रोड तक व अम्बाला रोड से देहरादून रोड तक बाई–पास का निर्माण कराया जाना नितांत आवश्यक है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनपद सहारनपुर में बाई पास निर्माण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने की मांग करता हूं।,

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्ता विधान सभा के अन्तर्गत मण्डी समिति की कतिपय जर्जर सड़कों के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुनील कुमार लाला–

ख्महोदय, मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद लखीमपुर खीरी के कस्ता विधान सभा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद लखीमपुर खीरी के कस्ता विधान सभा अन्तर्गत मण्डी समिति की दो सड़कें 1–ग्राम अछनिया से पहाड़ा तक एवं 2–नीमगांव रोड से परसेहरा खुर्द होते हुये परसेहरा कलां तक तथा पी0डब्ल्यू0डी0 की एक सड़क ग्रा0 औरंगाबाद से कुकुरगोती होते हुए ग्राम नकारा तक जिसकी सड़कें अत्यन्त जर्जर हो गयी हैं जिससे आये दिन वाहन के टायर खराब होना, वाहन पलटना आदि नुकसान होता रहता है।

अतएव उक्त गम्भीर विषय पर मैं सदन के माध्यम से उक्त तीनों सड़कों की मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सम्भल की कांठ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सलेमपुर–मेहलकपुर मार्ग पर गंगा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुरर्हमान–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा–25 कांठ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर मेरे क्षेत्र में सलेमपुर–मेहलकपुर मार्ग पर रामगंगा नदी पर पुल नहीं है। उक्त मार्ग दिल्ली, उ0प्र0 व उत्तराखण्ड को जोड़ता है तथा उक्त मार्ग से आवागमन पर दिल्ली से उत्तराखण्ड की दूरी 80 कि0मी0 कम है। जनता में उपरोक्त स्थान पर रामगंगा नदी पर पुल न बनाये जाने के कारण आक्रोश है।

अतः मैं उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद–चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क मार्गों के अभाव में बीहड़ एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र में बसे हुये लोगों को आवागमन एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से कुछ सम्पर्क मार्ग ऐसे हैं जो आधे अधूरे बने हैं। विभाग द्वारा कहा गया कि छूटे मार्गों में वन विभाग की आपत्ति के कारण नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन अब वन विभाग द्वारा सहमति दे दी है और आगणन भी प्रस्तुत किया गया है किन्तु धनराशि आवंटित न होने से अभी तक निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

1–विकास खण्ड मऊ में बरगढ़ मोड़ से परानू बाबा होते हुये ग्राम परदवां तक सम्पर्क मार्ग। विकास खण्ड मऊ में हनुमानगंज मजरा लौरी से कोटा कदैंला पक्का सम्पर्क मार्ग।

2–विकास खण्ड मानिकपुर में ग्राम कल्याणपुर स्थित बरदहा नाला रपटा से धारकुण्डी गौशाला आश्रम होते हुये म0प्र0 की सीमा तक सम्पर्क मार्ग के मार्गों को विभाग द्वारा आगणन भेज दिया गया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

उक्त विकास खण्ड के मार्गों का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में बहुत ही परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। जिससे उक्त स्थानीय/क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः महोदय इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में यथाशीघ्र जनपद–चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के वि0 ख0 मऊ, मानिकपुर के उपरोक्त रुके हुये सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद लखीमपुर की तहसील धौरहरा में ग्राम खमरिया पंडित में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर शेरू भैय्या–

ख्महोदय, जनपद लखीमपुर में तह0 धौरहरा में ग्राम खमरिया पंडित में 33/11के0वी0ए0 क्षमता का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करवाने हेतु कई बार शासन प्रशासन को जानकारी दी गयी परन्तु अभी तक स्थापित न हो सका जिससे क्षेत्रीय जनता काफी आक्रोशित है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त उपकेन्द्र के निर्माण की शीघ्र मांग करता हूं।,

जनपद महोबा में जिला कारागार के नये भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद महोबा का गठन हुये लगभग 20 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। लेकिन अभी तक वहां जिला कारागार के नये भवन

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे पुराने भवन में बंदियों की क्षमता से अधिक संख्या होने से अनेक परेशानियां हो रही हैं।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये महोबा में जिला कारागार के नये भवन का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली के पोलों में तार न खीचें जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

ख्महोदय, कानपुर में विधान सभा क्षेत्र छावनी में अथक प्रयास के बाद क्षेत्र में बिजली के पोल लगाये गये लेकिन अधिकारियों से सम्पर्क करने पर भी अभी तक उक्त खड़े खम्भों पर बिजली के तार नहीं डाले गये हैं। जैसे–किस्तीनगर, मंगला बिहार–2, देहलीगांव, कोयला नगर, न्यू आजाद नगर, सतबरी रोड के दाहिनी तरफ, चाणक्यपुरी, रामपुरम, मंगला बिहार–2 गिरजा नगर, तुलसीनगर, आदि क्षेत्रों में हमारे प्रयास से तो विभाग ने खम्भे लगाये हैं। अभी तक कहीं भी खम्भों पर तार नहीं डाले गये हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता को विद्युत आपूर्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये बिजली के लगे पोलों पर विद्युत तार खींचकर विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बरेली की शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत की कतिपय कालोनियों में बिजली के टूटे खम्भों एवं बांस बल्लियों के माध्यम से की जा रही विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरूण कुमार–

ख्महोदय, मेरे क्षेत्र 124–शहर विधान सभा बरेली के सिद्धार्थनगर (परतापुर), मठलक्ष्मीपुर, जोगीनवादा, डूडा कालोनी पश्तौर में बिजली के टूटे खम्भों तथा बांस–बल्लियों के माध्यम से बिजली सप्लाई हो रही है। जिससे हर समय दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है और आमजन में भी काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

भू–राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33/39 को निरसित कराने पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संत प्रसाद–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि चकबन्दी की धारा–27 की उप धारा–2 एवं धारा–49 के प्रवृत्त निम्न प्राविधानों का उल्लेख है :–

1–चकबन्दी की धारा 27(2)–प्रवृत्त प्राविधान–उप धारा–1 के अधीन तैयार किये गये नक्शा, खसरा, अधिकार–अभिलेख की सभी प्रविष्टियां अन्तिम एवं निश्चायक होंगी।

2–चकबन्दी की धारा–49 के प्रवृत्त प्राविधान–तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जो उस क्षेत्र में पड़ती, जिसके लिये धारा–4 के अधीन विज्ञप्ति जारी कर दी गयी हो, खातेदारों के अधिकारों का प्रख्यापन तथा निर्णय, अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय जो चकबन्दी कार्यवाहियों से उत्पन्न हो और जिसके सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और कोई दीवानी या माल न्यायालय, उक्त भूमि में अधिकारों के सम्बन्ध में अथवा किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जिसके लिये अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, किसी वाद अथवा कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा। ''दीवानी तथा माल अधिक्षेत्र पर रोक''

चकबन्दी अधिनियम की उक्त धाराओं के प्रवृत्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होकर आकार पत्र–45 (जिल्दबन्दोबस्त) निर्गत होने के पश्चात् अंग्रेजी शासनकाल की भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा–33/39 के बने रहने का औचित्य न होने के कारण निरसित किये जाने योग्य है।

अतः मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया जनहित में अंग्रेजी शासनकाल के भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा–33/39 को निरसित कराने की कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय पीठ से प्रभावी निर्देश देने की कृपा करें।,

जनपद आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन सुमन–

ख्महोदय, कृपया आपको अवगत कराना है कि जनपद–90, ग्रामीण आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहाबाद रोड से ग्वालियर रोड तक रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ए0डी0ए0 द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जा रही है, जो कि किसानों की जमीन को वर्ष 2011 में करार हुये जमीन का गजट वर्ष 2009 में हुआ था। ए0डी0ए0 द्वारा भुगतान कुछ किसानों को किया गया बाकी किसानों को आज तक भुगतान नहीं मिला है इसके बावजूद इनर रिंग रोड बनाने के लिये किसानों को हरी फसल के बिना भुगतान के बरामद किये जाने की कार्यवाही की जा रही

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। अपनी मांगों को लेकर के क्षेत्रीय किसान 20 दिनों से लगातार गुतिला थाना–ताजगंज के अन्तर्गत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे है, जिसके कारण किसानों को हालात चिन्ताजनक है एवं कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये किसानों की उचित मांगों को मानते हुये अधिग्रहीत भूमि का शीघ्र भुगतान किये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद खीरी की तहसील धौरहरा में दोहरा नाले पर बना क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेश सिंह–

ख्महोदय, कृपया आपको अवगत कराना है कि जनपद–खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में धौरहरा से सुजई कुण्डा जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाले दहोरा नाले पर बना पुल क्षतिग्रस्त है, जिस कारण आवागमन बाधित है, जिससे हजारों लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, जिससे जनता में काफी आक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त पुल का मरम्मत/निर्माण किये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर के विकासखण्ड पाली के कतिपय सम्पर्क मार्गों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह–

ख्महोदय, विकास खण्ड–पाली, जिला–गोरखपुर के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क मार्गों जोगिया पाली से बड़गो होते हुये भिरहा वर्क सम्पर्क मार्ग तक, वेलउरा (पाली) चौराहा से सुरगनहना तक, समधिया चौराहा से रानुखोर तक व सीहापार से घघसरा तक मरम्मत सहवनवा एवं (पाली) ब्लाक गोरखपुर तक मरम्मत का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है। ग्रामीणों को बरसात में इस लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर निकलना दूभर हो जाता है। ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये सम्बन्धित विकास खण्ड–पाली, जिला–गोरखपुर के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क मार्गों के मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य झूठी घोषणाओं के ख'', बैनर दिखाते हुए सदन की वेल में आ गये, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

ख12.38, औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को नियम–300 के अंतर्गत कुल दो सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की, विधान सभा के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों को आवंटित गैराजों में नाई, धोबी, दर्जी आदि द्वारा गैराजों का दुरुपयोग एवं बिजली, पानी का भी दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह नहीं सुनी जायेगी।

दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की, मा0 अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत 7 अल्पसूचित प्रश्नों में से मात्र 1 प्रश्न ही कार्यसूची में सम्मिलित करने तथा प्रश्न का उत्तर विभाग द्वारा समय से विधान सभा को उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बाजपेयी जी इस पर कुछ कहना है।

(घोर व्यवधान होने की वजह से सदस्य सूचना के औचित्य पर अपनी बात नहीं रख सके।)

ख12.39, प्रदेश में ध्वस्त कानून–व्यवस्था एवं नोटबन्दी विषयक नियम–311 की सूचना सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

अध्यक्ष महोदय, नोटबंदी पर थोड़ी चर्चा हो जाये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप कहिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

अध्यक्ष जी, यह नोटबंदी का मामला बड़ा गम्भीर है और यह सही है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत लोग लाइन में मर गये हैं, बादशाह के इस फैसले से देश का बड़ा नुकसान हुआ है, खासतौर से गरीब आदमी का, जिसके पास अगले वक्त का खाने का पैसा नहीं है, मेहनत और मजदूरी करता है। वह लाइन में खड़ा हुआ मर गया है। कोई भी रईस आदमी, कोई पैसे वाला, कोई बड़ा व्यक्ति अभी तक न लाइन में लगा है

ख'', यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

और न मरा है इसलिए इस गम्भीर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी बहस न कराकर दरअसल अपने–आप को यह साबित कर रही है कि उनके जरिये ही पूरे देश का अहित हुआ है और कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए यह फैसला लिया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

ख्12.40, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2003–2004[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2003–2004 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(सदन के फ्लोर पर खड़े भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण नारे लगाते रहे)

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2005–2006४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2005–2006 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2006–2007४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2006–2007 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पंचम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2007–2008४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2007–2008 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के छठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2008–2009४

---

४ छापा नहीं गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के छठां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2008–2009 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सातवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2009–2010[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सातवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2009–2010 को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2011–2012[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2011–12 को उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा–8 (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1341/ग्यारह–9 (107)/07–उ0 प्र0 अधि0–30–07–आदेश (165)–2016 दिनांक 21 सितम्बर, 2016[४४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0–क0 नि0–2–1341/ग्यारह–9(107)/07–उ0 प्र0 अधि0–30–07–आदेश(165)–2016, दिनांक 21 सितम्बर, 2016 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30, सन् 2007) की धारा–4 की उपधारा (10) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(सदन के वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य किसान विरोधी सरकार के नारे लगा रहे थे)

---

४ छापा नहीं गया।

४४ छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1342/ग्यारह–9 (107)/07–उ0 प्र0 अधि0–30–07–आदेश (166)–2016 दिनांक 21 सितम्बर, 2016[४४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0–क0नि0–2–1342/ग्यारह–9(107)/07–उ0 प्र0 अधि0–30–07–आदेश (166)–2016, दिनांक 21 सितम्बर, 2016 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 30, सन् 2007) की धारा–4 की उपधारा (10) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1463/ग्यारह–9 (128)/16–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश (169)–2016 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016[४४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0–क0नि0–2–1463/ग्यारह–9(128)/16 उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश (169)–2016, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड–1 एवं खण्ड–2 2015–2016 तथा विनियोग लेखे 2015–2016[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड–1 एवं खण्ड–2, 2015–2016 तथा विनियोग लेखे 2015–2016, उत्तर प्रदेश सरकार के संविधान के अनुच्छेद–151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1625/ग्यारह–9 (101)/16–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश (170)–2016 दिनांक 2 दिसम्बर, 2016[४४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0–क0नि0–2–1625/ग्यारह–9(101)/16 उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश (170)–2016, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

४४ छापी नहीं गयी।

४ छापा नहीं गया।

राजस्व अनुभाग–13 की अधिसूचना सं0–624/एक–13–2016–5क (25)–2013 दिनांक 23 नवम्बर, 2016[४४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राजस्व अनुभाग–13 की अधिसूचना संख्या–624/एक– 13–2016–5क(25)–2013, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–111 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2016 (दिनांक 22–08–2016 से दिनांक 01–09–2016 तक) में नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

(घोर व्यवधान के मध्य)

(विपक्ष के सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2016 (दिनांक 22–08–2016 से दिनांक 01–09–2016 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, नोटबंदी पर बहस करा दीजिए।

ख12.47, दिनांक 10 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश विधान सभा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा दिनांक 18 अगस्त, 2011 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुनर्विचार हेतु लौटाये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश

श्री अध्यक्ष–

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 जो दिनांक 10 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश विधान

---

४४ छापी नहीं गयी।

सभा द्वारा तथा दिनांक 11 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था तथा दिनांक 18 अगस्त, 2011 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, के संबंध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश को मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–169 (2) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाता हूं:–

राम नाईक **राज भवन**

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश **लखनऊ–226027**

दिनांक : दिसम्बर, 20, 2016

प्रिय श्री माता प्रसाद जी,

''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् तत्कालीन मा0 राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे तत्कालीन मा0 राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2011 को मा0 राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया था। तदुपरान्त उक्त विधेयक को राज्य सरकार के विधायी अनुभाग द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2011 को मा0 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित कर दिया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2016 के द्वारा राज्य सरकार को यह अवगत कराया गया कि संसद द्वारा **''द जुवेनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) ऐक्ट, 2015''** तथा **''दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013''** में किये गये प्रावधानों से ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' में प्रस्तावित उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2016 के आलोक में राज्य मंत्रि–परिषद् द्वारा अपनी बैठक दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 में यह विनिश्चय किया गया कि ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' को अब वापस ले लिया जावे।

मैं ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' भारत का संविधान के अनुच्छेद–175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत इस पत्र के साथ संलग्न अपने संदेश सहित आपको इस अनुरोध के साथ वापस प्रेषित करता हूं कि संलग्न संदेश में उल्लिखित परिवर्तित परिस्थितियों के आलोक में ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' को वापस लिये जाने की वांछनीयता पर राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा यथोचित समय पर पुनर्विचार किया जावे।

संलग्नक : दो पृष्ठीय संदेश

सस्नेह,

भवन्निष्ठ,
राम नाईक

श्री माता प्रसाद पाण्डेय,
मा0 अध्यक्ष,
विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् तत्कालीन मा0 राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे मा0 राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2011 को मा0 राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया था। तदुपरान्त उक्त विधेयक को राज्य सरकार के विधायी अनुभाग द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2011 को मा0 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित कर दिया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2016 के द्वारा राज्य सरकार को यह अवगत कराया गया कि संसद द्वारा ''द जुवेनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) ऐक्ट, 2015'' तथा ''दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013'' में किये गये प्रावधानों से ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' में प्रस्तावित उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2016 के आलोक में राज्य मंत्रि–परिषद् द्वारा अपनी बैठक दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 में यह विनिश्चय किया गया है कि ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' को अब वापस ले लिया जावे। उपरोक्त परिस्थितियों में दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लिये जाने हेतु मा0 राज्य मंत्रि–परिषद् के विनिश्चय को देखते हुए मैं ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' को वापस लिये जाने हेतु मा0 राज्य मंत्रि–परिषद् के विनिश्चय को देखते हुए मैं ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' को भारत का संविधान के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत इस पत्र के साथ संलग्न अपने संदेश सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित करता हूं कि संलग्न संदेश में उल्लिखित परिवर्तित परिस्थितियों के आलोक में ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' को वापस लिये जाने की वांछनीयता पर राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा यथोचित समय पर पुनर्विचार किया जावे।

रू''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् तत्कालीन मा0 राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे मा0 राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2011 को मा0 राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया था। तदुपरान्त उक्त विधेयक को राज्य सरकार के विधायी अनुभाग द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2011 को मा0 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित कर दिया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2016 के द्वारा राज्य सरकार को यह अवगत कराया गया कि संसद द्वारा ''द जुवेनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) ऐक्ट, 2015'' तथा ''दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013'' में किये गये प्रावधानों से ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' में प्रस्तावित उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और उक्त विधेयक अब वापस ले लिया जावे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2016 के आलोक में मा0 राज्य मंत्रि–परिषद् द्वारा अपनी बैठक दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 में यह विनिश्चय किया गया है कि ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश

द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' को वापस ले लिया जावे। उपरोक्त परिवर्तित परिस्थितियों में ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' को वापस लिये जाने हेतु मा0 राज्य मंत्रि–परिषद् के विनिश्चय को देखते हुए मैं ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' को भारत का संविधान के अनुच्छेद–175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपने इस संदेश के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों को इस अनुरोध के साथ वापस प्रेषित करता हूं कि उपरोक्त परिवर्तित परिस्थितियों में ''दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011'' को वापस लिये जाने की वांछनीयता पर दोनों सदनों द्वारा यथोचित समय पर पुनर्विचार किया जावे।,

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्र12.49, दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मा0, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेष द्वितीय संषोधन) विधेयक, 2011, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था और जो संविधान के अनुच्छेद–175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देष सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेष विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेष मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेष मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 30 अगस्त, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेष क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेष क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संषोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 30 अगस्त, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे)

(वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सदस्य किसान विरोधी सरकार के नारे लगाते रहे)

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेष स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेष पर कर (संषोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 30 अगस्त, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेष राज्य विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेष राज्य विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

संस्कृति विष्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि संस्कृति विष्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेष मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेष मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संषोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों को आवंटन विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

बेनेट विष्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि बेनेट विष्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

एमिटी विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि एमिटी विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

बरेली इण्टरनेषनल विष्वविद्यालय उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि बरेली इण्टरनेषनल विष्वविद्यालय उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

एरा विष्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि एरा विष्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

मुहम्मद अली जौहर विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि मुहम्मद अली जौहर विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेष दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपषमन) (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेष दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपषमन) (संषोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 30 अगस्त, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेष अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेष अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संषोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेष होम्योपैथिक मेडिसिन (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेष होम्योपैथिक मेडिसिन (संषोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 30 अगस्त, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

आई0 आई0 एम0 टी0, विष्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि आई0 आई0 एम0 टी0, विष्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 09 मार्च, 2016 को वापस प्राप्त होने पर राज्यपाल महोदय की अनुमति के लिये भेजा गया था, राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार हेतु वापस किये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2016 को संषोधनों सहित पुनः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से विधान सभा द्वारा किये गये संषोधनों सहित पुनः पारित होकर दिनांक 30 अगस्त, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

रू12.54, **उत्तर प्रदेष स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेष पर कर (संषोधन) विधेयक, 2016**

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेष स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेष पर कर (संषोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेष राज्य विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेष राज्य विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 01 सितम्बर, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

संस्कृति विष्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि संस्कृति विष्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 सितम्बर, 2016

को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेष राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंषन) (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेष राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंषन) (संषोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिष के दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी थी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेष मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेष मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संषोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का बाइसवां अधिनियम बन गया।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का तेइसवां अधिनियम बन गया।

बेनेट विष्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि बेनेट विष्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

एमिटी विष्वविद्यालय उत्तर प्रदेष (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि एमिटी विष्वविद्यालय उत्तर प्रदेष (संषोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

बरेली इण्टरनेषनल विष्वविद्यालय उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि बरेली इण्टरनेषनल विष्वविद्यालय उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

एरा विष्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि एरा विष्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 01 सितम्बर, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।

मुहम्मद अली जौहर विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि मुहम्मद अली जौहर विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 01 सितम्बर, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का अट्ठाइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेष दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपषमन) (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेष दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपषमन) (संषोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेष अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेष अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संषोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेष होम्योपैथिक मेडिसिन (संषोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेष होम्योपैथिक मेडिसिन (संषोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेष विधान सभा ने अपने

दिनांक 24 अगस्त, 2016 के उपवेषन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का इकत्तीसवां अधिनियम बन गया।

आई0 आई0 एम0 टी0, विष्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि आई0 आई0 एम0 टी0, विष्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से दिनांक 09 मार्च, 2016 को वापस प्राप्त होने पर राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु वापस किये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2016 को संषोधनों सहित पुनः पारित किया गया तथा उत्तर प्रदेष विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 अगस्त, 2016 की बैठक में विधान सभा द्वारा किये गये संषोधनों सहित पुनः पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेष का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–22 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–23।

ख01.00, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का पच्चीसवां प्रतिवेदन[४]

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का पच्चीसवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष 2010–2011 में उल्लिखित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन क्रमशः कमला नेहरू स्मारक चिकित्सालय इलाहाबाद तथा गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का छब्बीसवां प्रतिवेदन[४]

---

[४] छापा नहीं गया।

४ छापा नहीं गया।

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का छब्बीसवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष 2005–2006 में उल्लिखित कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के अधीन क्रमशः आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद एवं सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीनगर, मेरठ से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का इक्तालिसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का इक्तालिसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2011–2012 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का बयालिसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का बयालिसवां प्रतिवेदन, जो सार्वजनिक उपक्रम निगम संयुक्त समिति (2002–2003) के द्वादश प्रतिवेदन में भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1982–1983, 1983–1984, 1992–1993, 1994–1995, 1995–1996 तथा 1998–1999 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर की गयी संस्तुतियों पर आधारित कार्यान्वयन प्रतिवेदन है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का तैंतालिसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का तैंतालिसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2000–2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित पुलिस आवास निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का चौवालिसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का चौवालिसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2012–2013 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का पैंतालिसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का पैंतालिसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2013–2014 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का छियालिसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का छियालिसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1991–1992 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का सैंतालिसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का सैंतालिसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1988–1989 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित समाज कल्याण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2015–2016) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन ४

श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2015–2016) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन, जो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2012–2013, 2013–2014 तथा 2014–2015 के परीक्षण के सम्बन्ध में हैं, प्रस्तुत करता हूं।

---

४ छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2015–2016) का उन्नीसवां प्रतिवेदन४

श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2015–2016) का उन्नीसवां प्रतिवेदन, जो गृह विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2012–2013, 2013–2014 तथा 2014–2015 के परीक्षण के सम्बन्ध में हैं, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी समिति (2015–2016) उक्त समिति का 12वां प्रतिवेदन४

श्रीमती आशा किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी समिति (2015–16), उक्त समिति का 12वां प्रतिवेदन, जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी समिति (2015–16), उक्त समिति का 13वां प्रतिवेदन४

श्रीमती आशा किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी समिति (2015–16), उक्त समिति का 13वां प्रतिवेदन, जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

आज मद संख्या–36, 37 एवं 38 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–39 लेते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

---

४ छापा नहीं गया।

प्रश्न यह है कि विधान सभा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लेने की अनुमति दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख01.06, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

सदन में आज ही पुरःस्थापित सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

---

४ दिनांक 28–12–2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

४ छपा है।

यदि सदन सहमत हो तो आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को सदन में पुरःस्थापित सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 के विचारण एवं पारण संबंधी मदें उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए आज ही दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को ले ली जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख01.09, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22–12–2016 को नियम–311 के अन्तर्गत प्राप्त एक सूचना को नियम–56 में परिवर्तित करते हुए नियम–56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें निम्न सूचनायें चयनित की गई। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, जो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। यह सूचना श्री गयाचरन दिनकर, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की है, इसी के साथ श्री प्रदीप माथुर, श्री गजराज सिंह, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री गयादीन अनुरागी,श्री राधेश्याम, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना की सूचना है और इसी विषय पर श्री गयाचरण दिनकर, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री राज कुमार रावत, श्री संतराम कुशवाहा की सूचना है।

पांच सदस्यों की सूचनायें सरकार के ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई हैं जिनमें श्री कालीचरण सुमन, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री दलवीर सिंह तथा श्री पंकज मलिक की सूचनायें हैं। श्री कालीचरण सुमन की सूचना जनपद आगरा के अन्तर्गत सनी पुत्र श्री अशोक कुमार को दिनांक 19–12–2016 को गोली मारे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, की सूचना जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा अन्तर्गत कोतवाली धौरहरा के ग्राम धरमुनियापुर निवासी अनिल सिंह की दिनांक 16–12–2016 को हत्या किये जाने के उपरान्त पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की सूचना जनपद मेरठ में अतिक्रमण/जाम से निस्तारण की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, श्री दलवीर सिंह की सूचना दिनांक 17 दिसम्बर को श्री कृष्णपाल सिंह निवासी मोहल्ला तागड़ा की शरेआम हत्या से उत्पन्न स्थिति से संबंधित है, श्री पंकज मलिक की सूचना जनपद शामली व मुजफ्फरनगर के गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गई उनके नाम निम्न हैं :–

श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री जन्मेजय सिंह, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री रामहेत भारती, श्री कृष्णपाल सिंह

राजपूत, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री चौधरी गजेन्द्र सिंह, श्री दीपक पटेल, श्री उमाशंकर सिंह, श्री संजय कपूर, श्री राजीव गुम्बर, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया।

श्री गयाचरन दिनकर जी आप अपनी सूचना के संबंध में नियम–56 पर ग्राह्यता पर बोलिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–56 में ग्राह्यता में दिनकर जी, ठाकुर दलवीर सिंह जी, प्रदीप माथुर जी कुछ बोलेंगे ? अब आप लोग वापस चलिये।

नेता विरोधी दल (श्री गयाचरण दिनकर)–

माननीय अध्यक्ष जी, जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है,

श्री अध्यक्ष–

दिनकर जी, पहले अपनी पार्टी के मा0 सदस्यों को सदन के वेल से वापस तो बुला लें।

श्री गयाचरण दिनकर–

तब से सत्ता के संरक्षण में तमाम घटनायें हुईं। प्रदेश का हर तबका गुण्डा–गर्दी का शिकार है, इतने अत्यधिक अपराध घटित हुए हैं कि उन अपराधों से जन–मानस को संकट उत्पन्न हो गया है। पूरे प्रदेश में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है और उस विस्फोटक स्थिति को ध्यान में रख कर चर्चा कराया जाना जरूरी है। मा0 अध्यक्ष जी, 15–12–2016 को जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो बैंक आफ इण्डिया है, उसकी शाखा महानगर है, उसके सामने कैश वैन लूटी गई, जिसमें करोड़ों रुपया चला गया और सरकार ने अभी तक उसमें कोई कारगर/सार्थक कार्यवाही नहीं की है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल, जब आप बोल रहे हैं, तब आपकी पार्टी के सदस्यों को वेल में नहीं रहना चाहिए, वह पीछे चले जायें, फिर जब जरूरत होगी, तो आ जायेंगे वेल में।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर वापस जाते दिखे।)

श्री गयाचरण दिनकर–

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था और नोट बन्दी के कारण उत्तर प्रदेश की स्थिति नाजुक हुयी है और सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, उसके सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता हूँ। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में कानून–व्यवस्था भंग हो गई है, यहां तक कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो बैंक आफ इण्डिया है, शाखा महानगर के सामने से 15 तारीख को, मान्यवर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिली–जुली है और सरकार चर्चा से हटना चाहती है। मान्यवर, बैंक आफ इण्डिया, शाखा महानगर, लखनऊ में 15 दिसम्बर को एक कैश वैन लूट ली गयी, जिसमें करोड़ों रुपया लूट लिया गया, लेकिन अभी तक शासन और सरकार ने कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की है, जब प्रदेश की राजधानी का यह हाल है तो फिर प्रदेश के अन्य हिस्सों का क्या हाल होगा। मान्यवर, 19–12–2016 को जनपद चित्रकूट के ग्राम हन्ना में जो पहाड़ी थाने के अन्तर्गत आता है, राजाराम पुत्र सुन्दर लाल यादव की दिन–दहाड़े हत्या एक सत्ता संरक्षण प्राप्त गैंग ने कर दी। इसी गैंग के द्वारा

हजारों घटनायें की गयी हैं, इस गैंग ने करीब दो–चार महीने पहले भी सामूहिक हत्या की थी, ऐसे नरसंहार के खिलाफ भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है, प्रशासन मौन है। इसी तरह की और तमाम घटनायें हैं, जैसे आगरा जनपद में 18 दिसम्बर को ए0बी0एस0 कालेज के पास एक अनुसूचित जाति के महेश के बीस वर्षीय पुत्र शनि की बदमाशों ने खुलेआम हत्या करने का प्रयास किया जो जिन्दगी–मौत से जूझ रहा है और मेदान्ता अस्पताल में भर्ती है।....

(घोर व्यवधान के मध्य)

मेरठ जनपद में 09–12–16 को समाजवादी पार्टी के मथुरा के पदाधिकारियों ने देहली गेट थाना खैर मोहाल के निवासी नासिर खां सन आफ खलील खां की हत्या कर दी गयी। प्रशासन और सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैनपुरी जिले में कान्सटेबिल रूपेश भारती महिला कान्सटेबिल हैं जिनके पति सरकारी नौकरी करते हैं वे करहल थाने में, मान्यवर मेरी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। माथुर साहब आप कुछ कह रहे हैं।

'श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की हालत और बिगड़ गयी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही प्रधानमंत्री ने तुगलकी फरमान जारी करके नोटबन्दी द्वारा गिनीज बुक आफ रिकार्ड में नाम लिखाया। (व्यवधान)

मान्यवर, ये बी0जे0पी0 वाले गुण्डई कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय महाना जी उनकी सीट पर मत जाइये उन्हें बोलने दीजिए। यह आखिरी दिन है। अगर नियम–56 आया, उस पर नहीं बोला जायेगा तो परम्परा टूट जायेगी इसलिए नियम–56 पर बोलने दीजिए। जिस परम्परा को आप पार्लियामेन्ट में अच्छा नहीं मानते उसी को आप यहां चला रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, आज हालत यह हो गयी है कि आज हालात बद से बदतर हो गये हैं। प्रधानमंत्री ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है और 1000/500 के नोट बन्द कर दिये और पूरे देश को बर्बादी के कगार पर लगा दिया। तमाम मौतें हो चुकी है। तमाम लोग घायल हो रहे हैं, ए0टी0एम0 में पैसा नहीं है। आज स्थिति यह है कि पूरा प्रदेश त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रहा है। प्रधानमंत्री के तुगलकी फरमान की वजह से लोगों को भूखा मरने की नौबत आ गयी है। (व्यवधान)

श्री सभापति–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इनका जवाब दे दीजिए।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जवाब तो उस बात का दूं जो बात समझ में आई हो, सुनाई दी हो। भाजपा के लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, सिर्फ नोटबन्दी की वजह से कि इस पर बहस न हो, यह न पता चले उत्तर प्रदेश वासियों को कि किसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। लोग मर रहे हैं। अगर इनका मन साफ है तो करें बहस, बतायें किसान क्यों मर रहा है ? गरीब को क्यों पैसा नहीं मिल रहा है ? अपना ही पैसा खुद ही चोर और जो चोर हैं उस पर सारा खजाना लुटा दिया। यह बहस होनी चाहिए।

कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसमें आप लोगों को सुना मैं इसे अग्राह्य करता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

ख01.22, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–07, 21 लगायत 22,32,40,42,58,72 लगायत 73,83,86 तथा 92

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0–07, 21 लगायत 22, 32, 40, 42, 58, 72 लगायत 73, 83, 86 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रुपये एक हजार छः सौ तिरासी करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार (रुपये 1683,11,03,000) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0–07, 21 लगायत 22, 32, 40, 42, 58, 72 लगायत 73, 83, 86 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रुपये एक हजार छः सौ तिरासी करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार (रुपये 1683,11,03,000) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016ः

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2016 कहलायेगा।

उ0प्र0 राज्य की समेकित निधि में वर्ष 2016–17 के लिए 1683,11,03,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2017 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 1683,11,03,000 रुपये (रुपये एक हजार छः सौ तिरासी करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम. संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (रुपयों हजार में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	”””	”””	0
		पूंजी :	10000000	”””	10000000
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	20000	”””	20000
		पूंजी :	”””	”””	0
22	खेल विभाग	राजस्व :	”””	”””	0
		पूंजी :	22063	”””	22063
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	44040	”””	44040
		पूंजी :	”””	”””	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	10000	”””	10000
		पूंजी :	1000000	”””	1000000

1	2		3		
अनुदान/ क्रम. संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (रुपयों हजार में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
42	न्याय विभाग	राजस्व :	”””	”””	0
		पूंजी :	40000	”””	40000
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	राजस्व :	”””	”””	0
		पूंजी :	3620000	”””	3620000
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	2500	”””	2500
		पूंजी :	”””	”””	0

73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	32500	'''	32500
		पूंजी :	'''	'''	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	'''	'''	0
		पूंजी :	830000	'''	830000
86	सूचना विभाग	राजस्व :	1000000	'''	1000000
		पूंजी :	100000	'''	100000
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	110000	'''	110000
		पूंजी :	'''	'''	0
	योग :	**राजस्व :**	**1219040**	**'''**	**1219040**
		पूंजी :	**15612063**	**'''**	**15612063**
	महायोग :		**16831103**	**0**	**16831103**

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2017–2018 के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई व अगस्त, 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि ''31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2017–2018 के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई व अगस्त, 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 21 दिसम्बर, 2016 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–6 में दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो एक लाख चौंतीस हजार आठ सौ पैंतालीस करोड़ इक्यासी लाख पन्द्रह हजार रुपये (रुपये 1,34,845,81,15,000) से अधिक न हो।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2017–2018 के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई व अगस्त, 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 21 दिसम्बर, 2016 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–6 में दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो एक लाख चौंतीस हजार आठ सौ पैंतालीस करोड़ इक्यासी लाख पन्द्रह हजार रुपये (रुपये 1,34,845,81,15,000) से अधिक न हो।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

४ दिनांक 28–12–2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया जाए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016

01 अप्रैल, 2017 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया
जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2017–2018 के लिए 163907,52,13,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकने के निमित्त जो 01 अप्रैल, 2017 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 163907,52,13,000 रुपये (एक लाख तिरसठ हजार नौ सौ सात करोड़ बावन लाख तेरह हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया गया है, उन–उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
001	आबकारी विभाग	राजस्वः	894099	833	894932
		पूंजीः	2911	–	2911
002	आवास विभाग	राजस्वः	804335	4589	808924
		पूंजीः	4110417	12202	4122619
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्वः	1120321	250	1120571
		पूंजीः	112501	–	112501
004	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्वः	169598	–	169598
		पूंजीः	29542	–	29542
005	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्वः	451824	–	451824
		पूंजीः	–	–	–
006	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्वः	974216	–	974216
		पूंजीः	20833	–	20833
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्वः	3966303	–	3966303
		पूंजीः	18544711	–	18544711
008	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्वः	821194	–	821194
		पूंजीः	27732	–	27732
009	ऊर्जा विभाग	राजस्वः	26622194	19308065	45930259
		पूंजीः	23754669	190800	23945469
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औधानिक एवं रेशम विकास)	राजस्वः	1602351	7950	1610301
		पूंजीः	60070	–	60070
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्वः	15039359	635	15039994
		पूंजीः	2709095	––	2709095
012	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्वः	1504220	–	1504220
		पूंजीः	–	–	–
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्वः	11042262	313	11042575
		पूंजीः	40474552	–	40474552

1	2		3		
अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्वः	42283767	–	42283767
		पूंजीः	2033367	–	2033367
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्वः	5528418	575	5528993
		पूंजीः	627542	–	627542
016	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्वः	373643	–	373643
		पूंजीः	850417	–	850417
017	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्वः	475909	188	476097
		पूंजीः	–	–	–
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्वः	1989392	63524	2052916
		पूंजीः	–	76101	76101
019	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्वः	47489	–	47489
		पूंजीः	–	–	–
020	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्वः	161219	277958	439177
		पूंजीः	–	417	417
021	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्वः	1882877	146	1883023
		पूंजीः	38005195	21	38005216
022	खेल विभाग	राजस्वः	352581	–	352581
		पूंजीः	566784	–	566784
023	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्वः	944580	83	944663
		पूंजीः	–	––	–
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्वः	361858	–	361858
		पूंजीः	173651	–	173651
025	गृह विभाग (कारागार)	राजस्वः	3135805	417	3136222
		पूंजीः	2359740	–	2359740
026	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्वः	70448681	15671	70464352
		पूंजीः	4603146	–	4603146
027	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्वः	89160	–	89160
		पूंजीः	–	–	–
'029	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्वः	–	74862	74862
		पूंजीः	–	–	–

1	2		3		
अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
030	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्वः	25277	—	25277
		पूंजीः	—	—	—
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्वः	10266436	—	10266436
		पूंजीः	8720823	—	8720823
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्वः	26931512	833	26932345
		पूंजीः	3429205	—	3429205
033	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्वः	4568933	—	4568933
		पूंजीः	85758	—	85758
034	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्वः	1997123	—	1997123
		पूंजीः	54910	—	54910
035	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्वः	24868753	1083	24869836
		पूंजीः	698415	——	698415
036	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्वः	3774932	83	3775015
		पूंजीः	44292	—	44292
037	नगर विकास विभाग	राजस्वः	27530815	—	27530815
		पूंजीः	3368751	—	3368751
038	नागरिक उड्यन विभाग	राजस्वः	204236	—	204236
		पूंजीः	841667	—	841667
039	भाषा विभाग	राजस्वः	119091	—	119091
		पूंजीः	—	—	—
040	नियोजन विभाग	राजस्वः	718855	—	718855
		पूंजीः	4901818	—	4901818
041	निर्वाचन विभाग	राजस्वः	1553904	—	1553904
		पूंजीः	—	—	—
042	न्याय विभाग	राजस्वः	8835881	1615731	10451612
		पूंजीः	4606290	20833	4627123
043	परिवहन विभाग	राजस्वः	1103403	—	1103403
		पूंजीः	401744	—	401744
044	पर्यटन विभाग	राजस्वः	215725	—	215725
		पूंजीः	904815	—	904815
045	पर्यावरण विभाग	राजस्वः	23354	—	23354
		पूंजीः	—	—	—

1	2		3		
अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
046	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्वः	77051	–	77051
		पूंजीः	–	–	–
047	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्वः	1909046	–	1909046
		पूंजीः	914284	––	914284
048	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्वः	7269019	75	7269094
		पूंजीः	3267549	–	3267549
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्वः	26564260	417	26564677
		पूंजीः	795875	–	795875
050	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्वः	4202331	708	4203039
		पूंजीः	733036	–	733036
051	राजस्व विभाग (दैवी विपतियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्वः	6515540	–	6515540
		पूंजीः	93750	–	93750
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा तथा अन्य व्यय)	राजस्वः	16718040	938	16718978
		पूंजीः	230517	537	231054
053	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्वः	7046	–	7046
		पूंजीः	–	–	–
054	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्वः	10335326	167	10335493
		पूंजीः	–	–	–
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्वः	387267	15983	403250
		पूंजीः	178956	5375	184331
056	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्वः	–	–	–
		पूंजीः	541667	–	541667
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	राजस्वः	83333	–	83333
		पूंजीः	4225750	–	4225750
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़के)	राजस्वः	19288219	208	19288427
		पूंजीः	32937981	50000	32987981
059	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पति निदेशालय)	राजस्वः	818507	–	818507
		पूंजीः	1200560	–	1200560
060	वन विभाग	राजस्वः	3520082	571	3520653
		पूंजीः	1987702	––	1987702
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्वः	48294178	176400901	224695079
		पूंजीः	11360002	91037823	102397825

1	2		3		
अनुदान /	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
062	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा	राजस्वः	173478446	128950	173607396
	पेंशनें)	पूंजीः	416667	–	416667
063	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा	राजस्वः	1631539	–	1631539
	प्रशासन)	पूंजीः	8333	–	8333
065	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,	राजस्वः	1455371	–	1455371
	अल्प–बचत आदि)	पूंजीः	208	–	208
066	वित्त विभाग	राजस्वः	88880	948623	1037503
	(सामूहिक बीमा)	पूंजीः	–	–	–
067	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्वः	264389	4190	268579
		पूंजीः	167	–	167
068	विधान सभा सचिवालय	राजस्वः	759296	5925	765221
		पूंजीः	333	–	333
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्वः	2489375	–	2489375
		पूंजीः	1008125	–	1008125
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्वः	758963	–	758963
		पूंजीः	187887	–	187887
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्वः	237783213	–	237783213
		पूंजीः	1555897	–	1555897
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्वः	44712168	21	44712189
		पूंजीः	1706217	–	1706217
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्वः	12231415	–	12231415
		पूंजीः	1255085	–	1255085
074	गृह विभाग (होमगार्डर्स)	राजस्वः	3253450	–	3253450
		पूंजीः	94167	–	94167
075	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक	राजस्वः	749292	–	749292
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	पूंजीः	54167	–	54167
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्वः	1561150	–	1561150
		पूंजीः	1042	–	1042
077	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्वः	446265	–	446265
		पूंजीः	1615	–	1615
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्वः	4141193	–	4141193
		पूंजीः	136463	–	136463
079	समाज कल्याण विभाग	राजस्वः	7430640	–	7430640

1	2		3		
अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
	(विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	पूंजीः	550178		550178
080	समाज कल्याण विभाग	राजस्वः	25050745	–	25050745
	(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	पूंजीः	5688	–	5688
081	समाज कल्याण विभाग	राजस्वः	1031941	–	1031941
	(जनजाति कल्याण)	पूंजीः	193434	–	193434
082	सतर्कता विभाग	राजस्वः	234779	25061	259840
		पूंजीः	–	–	–
083	समाज कल्याण विभाग	राजस्वः	59356188	–	59356188
	(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	पूंजीः	26582879	–	26582879
084	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्वः	70712	–	70712
		पूंजीः	75131	–	75131
085	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्वः	27789	–	27789
		पूंजीः	–	–	–
086	सूचना विभाग	राजस्वः	1517012	–	1517012
		पूंजीः	100000	–	100000
079	समाज कल्याण विभाग	राजस्वः	7430640	–	7430640
	(विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	पूंजीः	550178		550178
080	समाज कल्याण विभाग	राजस्वः	25050745	–	25050745
	(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	पूंजीः	5688	–	5688
081	समाज कल्याण विभाग	राजस्वः	1031941	–	1031941
	(जनजाति कल्याण)	पूंजीः	193434	–	193434
082	सतर्कता विभाग	राजस्वः	234779	25061	259840
		पूंजीः	–	–	–
083	समाज कल्याण विभाग	राजस्वः	59356188	–	59356188
	(अनुसूचित जातियों के लिए	पूंजीः	26582879	–	26582879

1	2		3		
अनुदान /	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
	विशेष घटक योजना)				
084	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्वः	70712	–	70712
		पूंजीः	75131	–	75131
085	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्वः	27789	–	27789
		पूंजीः	–	–	–
086	सूचना विभाग	राजस्वः	1517012	–	1517012
		पूंजीः	100000	–	100000
087	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्वः	222548	–	222548
		पूंजीः	8917	–	8917
088	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्वः	3834388	–	3834388
		पूंजीः	17083	–	17083
089	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्वः	3538419	272709	3811128
		पूंजीः	155875	–	155875
090	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्वः	212345	–	212345
		पूंजीः	–	–	–
091	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्वः	1313824	1	1313825
		पूंजीः	–	–	–
092	संस्कृति विभाग	राजस्वः	314833	2	314835
		पूंजीः	135633	–	135633
094	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्वः	9471852	–	9471852
		पूंजीः	19304724	41667	19346391
095	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्वः	16837803	2083	16839886
		पूंजीः	–	–	–
	योग–	**राजस्वः**	**1069307958**	**199181322**	**1268489280**
		पूंजीः			

1	2	3		
अनुदान /	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
		279150157	**91435776**	**370585933**
	महायोग–	**1348458115**	**290617098**	**1639075213**

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख01.28, सैम हिग्गिनबॉटन कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–56 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत इक्यूमेनिकल माइनारिटी क्रिश्चियन सोसाइटी अर्थात सैम हिग्गिनबॉटम एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिग्गिनबॉटम हाउस, 4 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद–211007 द्वारा स्थापित एवं प्रशासित विद्यमान सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), इलाहाबाद को उच्चीकृत एवं पुनर्गठित करने की दृष्टि से एक अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा निगमित करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए।

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, अधिनियम 2016 कहा जायेगा।

(2) यह अधिनियम ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषायें

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) ''विद्या परिषद'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य कुलाधिपति के मामले में संस्थापक सोसाइटी, कुलपति और प्रति कुलपतियों के मामले में कुलाधिपति और कुलसचिव, निदेशकों, वित्त नियंत्रक तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के मामले में कुलपति से है;

(ग) ''सहयुक्त महाविद्यालय'' का तात्पर्य उक्त विश्वविद्यालय की किसी डिग्री हेतु प्रवेश के लिए आवश्यक अध्यापन की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त और इस अधिनियम और विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत किसी संस्था से है;

(घ) ''संघ'' का तात्पर्य भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ से है;

(ङ) ''प्रबन्ध.बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रबन्ध.बोर्ड से है;

(च) ''पाठ्य.बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य.बोर्ड से है;

(छ) ''परिसर'' का तात्पर्य अनुदेश या शोध अथवा दोनों का प्रबंधन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई से है;

(ज) 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)', 'प्रति कुलपति (प्रशासन)' और 'कुलसचिव' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य), प्रति कुलपति (प्रशासन) और कुलसचिव से है;

(झ) ''महाविद्यालय/विद्यालय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अपने विशेषाधिकारों के निमित्त अनुरक्षित या प्रवेश प्राप्त किसी ऐसी शैक्षणिक संस्था से है, जिसमें सहयुक्त/घटक महाविद्यालय सम्मिलित हैं;

(ञ) ''घटक महाविद्यालय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित और परिनियमावली द्वारा इस रूप में नामित किसी संस्था से है;

(ट) ''परिषद'' का तात्पर्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा और भारतीय परिचर्या परिषद से है;

(ठ) ''मानित विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी, विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) इलाहाबाद से है, जिसे मानित विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता है।

(ड) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं।

(ढ) विश्वविद्यालय के किसी संस्थान के सम्बंध में ''निदेशक'' का तात्पर्य ऐसे संस्थान के अध्यक्ष से है।

(ण) ''निदेशालय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विभिन्न निदेशालयों से है जिनके अध्यक्ष सम्बन्धित निदेशकगण हैं।

(त) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(थ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(द) ''वित्त नियंत्रक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से है;

(ध) ''संस्थापक सोसाइटी'' का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिग्गिनबॉटम हाऊस, 4 एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से है जो विश्वविद्यालय के कार्यों सहित सोसाइटी के समस्त क्रियाकलापों का प्रबन्ध करने वाला शीर्ष निकाय है।

(न) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(प) ''हॉल'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासीय या सामुदायिक जीवन की इकाई से है;

(फ) ''संस्था'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है;

(ब) किसी महाविद्यालय या संस्था के सम्बंध में ''प्रबंध समिति'' का तात्पर्य ऐसी प्रबंध समिति या ऐसे किसी अन्य निकाय, जिसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाये, से है और जिसे यथास्थिति ऐसे महाविद्यालय या संस्था के कार्यों के प्रबंधन हेतु प्रभारित किया गया हो और वह इस रूप में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(भ) ''अवचार'' का तात्पर्य ऐसे अवचार से है जैसा कि विहित किया जाय।

(म) ''अधिसूचना'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(य) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(क.क) ''प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, विद्यालय या महाविद्यालय के प्रधान से है और जिसमें तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति सम्मिलित है और प्राचार्य या कार्यवाहक प्राचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक रूप से नियुक्त उप प्राचार्य से है;

(क.ख) ''अभिलेख और प्रकाशन'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(क.ग) ''कुलसचिव'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव से हैं;

(क.घ) ''सीनेट'' का तात्पर्य संस्थापक सोसाइटी द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के सीनेट से है;

(क.ङ) ''परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी विश्वविद्यालय की क्रमशः परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली से है;

(क.च) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय में औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के अधीन किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या सम्यक रूप से संस्थित अन्य शैक्षणिक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किसी व्यक्ति से है;

(क.छ) ''अध्यापक'' का तात्पर्य शिक्षण प्रदान करने अथवा अनुसंधान या प्रसार कार्यक्रम संचालित करने और तत्सम्बंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति से है;

(क.ज) ''कोषाध्यक्ष'', का तात्पर्य सोसाइटी/विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष से है;

(क.झ) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा स्थापित सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से है;

(क.ञ) ''कुलाध्यक्ष'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होंगे।

विश्वविद्यालय

3–(1) उस दिनांक से, जिस दिनांक को राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की

जायेगी जिसमें विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति, कोषाध्यक्ष, प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य), प्रति कुलपति (प्रशासन), कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, संस्थापक सोसाइटी, सीनेट, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद और ऐसे समस्त व्यक्ति या समिति जिन्हें ऐसे कार्यालयों में नियुक्त किया जाये अथवा ऐसे सदस्य जब तक वे अपना पद या सदस्यता धारण करें, सम्मिलित होंगे;

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) इस रूप में कार्य करने से प्रविरत हो जायेगा और उक्त मानित विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियाँ एवं देनदारियां विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित माने जायेंगे।

(4) संस्थापक सोसाइटी ने मानित विश्वविद्यालय के लिए 667.27 एकड़ भूमि और पर्याप्त मात्रा में निर्मित भवन आवंटित किया है और ये सभी मानित विश्वविद्यालय के कब्जाधीन हैं जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर विश्वविद्यालय को अंतरित माने जायेंगे, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित है।

विश्वविद्यालय की अधिकारिता

4–(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित के सिवाय या अन्यथा अपनी अधिकारिता के भीतर किसी क्रिश्चियन अल्पसंख्यक संस्था को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्बद्ध करने की शक्ति सहित क्षेत्रीय सीमा, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में होगा।

(2) विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर स्थित किसी महाविद्यालय या संस्था को विश्वविद्यालय से अनिवार्यतः सम्बद्ध नहीं किया जायेगा और विश्वविद्यालय द्वारा केवल उसी महाविद्यालय / संस्था को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी जो परिनियमावली एवं अध्यादेशों द्वारा सहमत हो।

(3) विश्वविद्यालय राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से सुसंगत उच्च/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अपना शैक्षणिक केन्द्र/परिसर/विदेशी परिसर सम्बंधित सरकार, जहाँ वह स्थित हो, की सहमति से स्थापित कर सकता है।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

5–(1) ऐसे किन्हीं आदेशों, जैसा कि प्रबंध बोर्ड द्वारा संस्थापक सोसाइटी के अनुमोदन से किया जाये, के अध्यधीन संस्थापक सोसाइटी से सम्बंधित भवनों को उसी नाम और अभिनाम से निरन्तर जाना जायेगा और अभिहित किया जायेगा जैसा कि वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व जाने जाते थे और अभिहित किये जाते थे;

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर और प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रत्येक पदाधिकारी– कुलाधिपति, कुलपति, कोषाध्यक्ष, प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य), प्रति कुलपति (प्रशासन), कुलसचिव, निदेशकगण, वित्त नियंत्रक, तथा अन्य अधिकारी, अध्यापक एवं कर्मचारी जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व नियोजित थे, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं

विज्ञान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में उसी सेवाधृति के साथ और उसी निबंधन और शर्तों पर तथा उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ नियोजित रहेंगे जैसा वे सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) में नियोजित थे।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा प्रदान किये जा रहे समस्त शैक्षणिक कार्यक्रम इस अधिनियम के अधीन यथावत जारी रहेंगे।

(4) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा प्रवेश परीक्षा संचालन या कोई उपाधि या अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान किये जाने सहित कृत किसी कार्य या कार्यवाही को इस अधिनियम के अधीन कृत या की गयी या प्रदत्त माना जायेगा मानो यह अधिनियम समस्त सारवान समयों में प्रवृत्त रहा हो।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

6–(1) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को आरम्भ/ निगमित किये जाने सम्बंधी अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा। इस प्रकार की अधिसूचना पर विश्वविद्यालय को मानित विश्वविद्यालय की प्रास्थिति की मान्यता वापस लेने के लिए सम्बंधित प्राधिकरण को आवेदन करना होगा।

(2) राज्य सरकार इस संबंध में विश्वविद्यालय के आरम्भ/निगमन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, परिषदों, संघों एवं सभी सम्बन्धित सांविधिक निकाय, सरकार एवं संगठनों को परिपत्र जारी करेगी;

7–विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे;

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(एक) उत्तर प्रदेश के समग्ररूप में ग्रामीण और आम जनता के लिए विभिन्न अध्ययन शाखाओं, विशेष रूप से कृषि, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान, पशु चिकित्सा, ग्रामीण उद्योग, व्यापार और अन्य सम्बद्ध शाखाओं में अध्ययन करने तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु उपबंध करना;

(दो) समाज के समग्र विकास हेतु विशेष रूप से कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, क्रिश्चियन धर्मविद्या के माध्यम से धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सम्बंधी सुसंगत शाखाओं में अध्यापन तथा अनुसंधान के सम्वर्द्धन को अग्रसर करना;

(तीन) क्षेत्रीय एवं प्रसार कार्यक्रमों का दायित्व ग्रहण करना;

(चार) दूरस्थ शिक्षा/सतत् शिक्षा/ ई–लर्निंग के माध्यम से शिक्षा में नवपरिवर्तन करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन और ज्ञानार्जन की नवीन पद्धतियां और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(पाँच) विभिन्न नवीन शाखाओं में अध्ययन संचालित करना;

(छः) संस्थापक के दर्शन ''भूखे को भोजन और पृथ्वी की सेवा'' के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन और निर्धनतम व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा के सम्वर्द्धन के लिए अध्ययन, अनुसंधान एवं प्रसार कार्यक्रम संचालित करना;

(सात) अंतर्शाखा – अध्ययन संचालित करना और विद्या की ऐसी शाखाओं जिन्हें वह उचित समझे, में अनुदेश, अनुसंधान और प्रसार संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करके ज्ञान का प्रसार और सम्वर्द्धन करना;

(आठ) राष्ट्रीय एकीकरण, भारतीय संस्कृति एवं भाषा और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना;

(नौ) समस्त आधुनिक, उच्च, व्यावसायिक, धार्मिक और अध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हुए क्रिश्चियन समुदाय को मुख्य धारा में लाना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना;

विश्वविद्यालय सबके लिए होगा

8–(1) विश्वविद्यालय, इस धारा के उपखण्ड–2 के उपबंधों के अध्यधीन ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए होगा वे चाहे वंश, धर्म, मत, जाति या वर्ग के हों;

(2) इस धारा में निहित कोई बात क्रिश्चियन अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की नियुक्ति और छात्रों के प्रवेश तथा प्रशासन के लिए कोई विशेष उपबंध/आरक्षण की व्यवस्था करने से विश्वविद्यालय को नहीं रोकेगा जो 50 प्रतिशत से अनधिक हो।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

9–विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होगी :–

(एक) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, अभियंत्रण, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन की ऐसी शाखाओं में ऐसे अनुदेश का उपबंधन करना जैसा कि विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे और अनुसंधान और ज्ञान तथा कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार का उपबंध करना;

(दो) कृषि शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार, विज्ञान, अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी और सुसंगत सम्बद्ध शाखाओं के अलावा, अन्य शिक्षण शाखाओं में नया शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से अनापत्ति प्राप्त करना होगा और सम्बन्धित सांविधिक परिषदों की यथाप्रयोज्य अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(तीन) भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन को प्रोत्साहित करना;

(चार) क्रिश्चियन धर्म अध्ययन की व्यवस्था करने, क्रिश्चियन धर्मशास्त्र और धर्म में अनुदेश देने और नैतिक तथा अध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत में क्रिश्यिचन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक समुन्नति को प्रोत्साहित करना;

(पांच) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान करना और उपाधियां/अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उचित तथा पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(छः) परिनियमावली द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टियां प्रदान करना;

(सात) प्रौढ़ शिक्षा के प्रोन्नयन हेतु निवेश–वाह्य अध्ययन तथा प्रसार सेवायें आयोजित करना और उनका दायित्व ग्रहण करना और अन्य उपाय करना;

(आठ) दूरस्थ शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों सहित अनुदेश का उपबंध करना;

(नौ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्च शिक्षण संस्था से, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार करना या सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(दस) अनुसंधान एवं परामर्श के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ग्यारह) किसी संस्था में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों को अनुदेश देने या अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने या दोनों के लिए विश्वविद्यालय को सहयोग देने उसके साथ कार्य करने या उससे सहयुक्त होने में अनुमोदन प्रदान करना और ऐसे अनुमोदन को वापस लेना;

(बारह) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों और अनुसंधान तथा प्रसार सम्बंधी पदों का सृजन करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के आचार्य, सह आचार्य या सहायक आचार्य, प्राध्यापक तथा अन्य अध्यापकों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(चौदह) अभ्यागत प्राचार्य/वैज्ञानिक एवं सलाहकार के रूप में व्यक्तियों की उन निबंधनों पर नियुक्ति करना जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे।

(पन्द्रह) शैक्षणिक कृत्य करने के उद्देश्य से शैक्षणिक निकाय का गठन करना या नवीन शैक्षणिक संकायों की स्थापना करना और उन्हें यथा विहित रीति पारिश्रमिक संदाय करना।

(सोलह) निम्नलिखित पदधारकों की सेवाओं की निबंधन एवं शर्तों का उपबंध करना :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापकगण और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्य;

(ख) किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त अध्यापक तथा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्य;

(ग) विश्वविद्यालय या किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारी;

(सत्रह) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या नियमित आधार पर विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करना;

(अट्ठारह) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक और पारितोषिक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(उन्नीस) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबंध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(बीस) परिनियमावली के अनुसार यथास्थिति किसी संस्था, किसी महाविद्यालय, किसी विभाग या किसी विद्यालय को केन्द्र या स्वशासी केन्द्र घोषित करना;

(इक्कीस) सहयुक्तता के स्तर पर और सहयुक्तता की अवधि में महाविद्यालय तथा संस्थाओं में नियमित अंतराल पर अभ्यागत समितियाँ भेजने की व्यवस्था करना;

(बाईस) एक ही तथा समान क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न महाविद्यालयों और संस्थाओं के कार्यों का समन्वयन करना;

(तेईस) केन्द्रीय सुविधाएं यथा – कम्प्यूटर केन्द्र, लिखतकरण केन्द्र, पुस्तकालय इत्यादि की स्थापना करना;

(चौबीस) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापित करना;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं के लिए शुल्क निर्धारित करना;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु ऐसे मानक अवधारित करना जिनमें परीक्षा, मूल्यांकन या कोई अन्य परीक्षण पद्धति सम्मिलित हो सकती हैं;

(सत्ताईस) शुल्क एवं अन्य प्रभारों की मांग करना एवं उनका भुगतान प्राप्त करना;

(अट्ठाईस) आवासीय व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना एवं नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों का अनुशासन विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण के सम्वर्द्धन की व्यवस्था करना;

(उन्तीस) सभी महिला छात्राओं एवं क्रिश्चियन समुदाय की छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे।

(तीस) प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पदों पर नियुक्ति करना;

(इकतीस) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं के कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण को विनियमित करना;

(बत्तीस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा छात्रों के मध्य अनुशासन विनियमित एवं प्रवर्तित करना तथा इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा कि उचित समझा जाये।

(तैतीस) सहयुक्त महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु आचरण संहिता विहित करना और सहयुक्तता हेतु समझौता ज्ञापन करना;

(चौतीस) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण के सम्वर्द्धन के लिए प्रबंध करना;

(पैतीस) ऐसे व्यक्तियों से उपकृति, दान एवं उपहार प्राप्त करना तथा उनके नाम पर ऐसे पीठों, संस्थाओं, भवनों तथा तत्समान अन्य जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, का सृजन करना जिनका विश्वविद्यालय के प्रति उपहार या दान ऐसी धनराशि के बराबर होगी जैसा कि विश्वविद्यालय विनिश्चित करे;

(छत्तीस) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु संस्थापक सोसाइटी/सीनेट की पूर्वानुमति से विन्यास सम्पत्तियों सहित चल एवं अचल सम्पत्ति प्राप्त करना, धारित करना और उसका प्रबंध करना;

(सैतीस) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु सीनेट एवं प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन से धन उधार लेना;

(अड़तीस) छात्रों को पूरक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने के उपायों को प्रारम्भ करना;

(उन्तालीस) ''दूरस्थ शिक्षा'' एवं मुक्त उपागम के माध्यम से अनुदेश के लिए और अनौपचारिक (मुक्त शिक्षा) शाखा से औपचारिक शाखा की ओर तथा औपचारिक से अनौपचारिक शाखा की ओर गतिशील करने के लिए उपबंध करना ;

(चालीस) अध्यापकों हेतु आचार संहिता, अन्य कर्मचारियों हेतु आचरण संहिता एवं छात्रों हेतु अनुशासन संहिता विहित करना; और

(इकतालीस) विश्वविद्यालय के समस्त या किसी उद्देश्य/उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे समस्त कार्य और बात करना, जो आवश्यक आनुषंगिक या संचालनीय हो;

कुलाध्यक्ष

10–(एक) विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष राज्यपाल होंगे;

(दो) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, उपकरणों (या किसी भी महाविद्यालय का) और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन और उसके द्वारा कृत अन्य कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(तीन) कुलाध्यक्ष निरीक्षण कराये जाने हेतु अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को दे सकता है और विश्वविद्यालय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक होगा जिसे इस प्रकार के निरीक्षण में उपस्थित रहने या सुने जाने का अधिकार होगा।

(चार) कुलाध्यक्ष, ऐसे निरीक्षण के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगा और कुलपति तत्सम्बंध में कार्यवाही किये जाने हेतु कुलाध्यक्ष के दृष्टिकोण से प्रबंध बोर्ड को संसूचित करेगा।

(पांच) प्रबंध बोर्ड कृत कार्यवाही के सम्बंध में कुलाध्यक्ष को कुलपति के माध्यम से संसूचित करेगा।

(छः) यदि प्रबंध बोर्ड को कुलाध्यक्ष के किसी विनिश्चय के सम्बंध में असहमति हो तो वह समीक्षा हेतु कुलाध्यक्ष को अपील करेगा और समीक्षा अपील पर कुलाध्यक्ष का विनिर्णय अन्तिम होगा।

(सात) जहाँ कुलाध्यक्ष को प्राधिकरणों में व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट किये जाने की शक्ति कुलपति को प्रदान की गयी हो, वहाँ कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिये विविध हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु व्यक्तियों का नामनिर्दिष्ट करना होगा तथा विभिन्न समितियों में कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशितियों को बैठक के परिणाम के सम्बंध में कुलाध्यक्ष को सूचित करना होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाध्यक्ष

(ख) कुलाधिपति

(ग) कुलपति

(घ) कोषाध्यक्ष

(ड.) प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)

(च) प्रति कुलपति (प्रशासन)

(छ) कुलसचिव

(ज) निदेशक (अनुसंधान)

(झ) निदेशक (प्रसार)

(ञ) निदेशक (अधिष्ठान एवं संपदा)

(ट) निदेशक (आंतरिक गुणवत्ता, निर्धारण एवं आश्वासन)

(ठ) निदेशक (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श कार्य)

(ड) निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

(ढ) निदेशक (सहायक इकाई)

(ण) निदेशक (पौरोहित्य, मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्य)

(त) निदेशक (विधि मामले)

(थ) निदेशक (दूरस्थ शिक्षा)

(द) निदेशक (विकास)

(ध) निदेशक (मानव संसाधन प्रबंध एवं सम्पर्क)

(न) निदेशक (प्रशासन)

(प) निदेशक (वित्तीय योजना एवं प्रबन्धन)

(फ) निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र)

(ब) निदेशक (कैम्पस मिनिस्ट्री)

(भ) वित्त नियंत्रक

(म) ऐसा अन्य अधिकारी जिसे परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाये।

कुलाधिपति

12–(एक) कुलाधिपति की नियुक्ति, संस्थापक सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से की जायेगी, जो अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा/होगी, तथा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा/करेगी और परिनियमावली द्वारा यथा विहित कृत्यों का निष्पादन करेगा/करेगी। कुलाधिपति पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेगा/करेगी और उसे संस्थापक सोसाइटी द्वारा दूसरे कार्यकाल की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा संस्थापक सोसाइटी/सीनेट को कुलाधिपति को संदत्त किये जाने वाले मानदेय/भत्तों का विनिश्चय करना होगा।

(दो) जहाँ कुलाधिपति को प्राधिकरणों में व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई हो वहाँ कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करेगा। कुलाधिपति समय–समय पर विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण करेंगे। विभिन्न समितियों में कुलाधिपति के नामनिर्देशिती, क्रमिक रूप में बैठकों के पश्चात अपनी रिपोर्ट भेजेंगे।

कुलपति

13–(1)कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा/होगी और उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी। कुलपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और सीनेट की संस्तुति पर प्रतिमानों के अनुसार यथाशक्य अनुमन्य आयु की अग्रतर अवधि तक के लिए नवीकरणीय होगा। सेवानिवृत्ति/ त्यागपत्र/ अस्वस्थता/ अवकाश या अन्य किसी कारण से कुलपति की अनुपस्थिति में कुलाधिपति द्वारा प्राधिकृत प्रतिकुलपति उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करेगा ।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय हो कि किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित हो तो वह परिनियमावली, नियमावली, विनियमावली/उपविधियों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है/सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकता/सकती है या ऐसी कार्यवाही करने के लिए अग्रतर हो सकता है/सकती है। ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से संबंधित प्राधिकारी को अवगत करायेगा/करायेगी :

परन्तु यदि उपधारा (3) में यथा उल्लिखित सम्बन्धित प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका तत्संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) कुलपति प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद, विश्वविद्यालय वित्त समिति, नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड या अन्य किन्हीं उल्लिखित या अनुल्लिखित समितियों का अध्यक्ष होगा।

(5) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्त्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के परिनियमावली, अध्यादेशों, नियमों, उपविधियों और विनियमावली का सम्यक रूप से सम्प्रेक्षण किया जाये और लागू किया जाये और उसे इस संबंध में समस्त शक्तियां होंगी।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय अथवा अध्यादेशों में अधिकथित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) एतद्धीन यथा उल्लिखित रूप में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा कुलपति की संस्तुति पर की जायेगी और वे कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जाने वाले निम्नलिखित विषयों में कुलपति की सहायता करेंगे :–

(क) प्रतिकुलपति (शैक्षणिक कार्य)

(ख) प्रतिकुलपति (प्रशासन)

(2) प्रतिकुलपतियों की परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि सीनेट द्वारा विनिश्चित किया जाये।

कुल सचिव

15–(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और जिसकी नियुक्ति सीनेट के पूर्वानुमोदन से कुलपति द्वारा की जायेगी; तथापि कुलपति अंतरिम अवधि के लिए किसी पूर्णकालिक अध्यापक को कुलसचिव के रूप में भी नियुक्ति कर सकता है। व्यवसायिक विश्वविद्यालय होने के कारण, कुलसचिव का चयन प्रख्यात शिक्षाविदों/विद्याविदों में से किया जायेगा जो सह आचार्य की श्रेणी से नीचे का न हो।

(2) कुलसचिव की परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाये ।

(3) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाये।

विश्वविद्यालय के निदेशक

16–(1) चूंकि विश्वविद्यालय के त्रिस्तरीय कार्य हैं, अर्थात अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रसार इसलिये विश्वविद्यालय में निदेशकगण होंगे जो विश्वविद्यालय के सुगम कार्य संचालन में विशेष रूप से अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में कुलपति की सहायता करेंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन में कुलपति की सहायता करने हेतु निदेशक, दूरस्थ शिक्षा एवं अन्य निदेशकगण भी होंगे। निदेशकों की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी।

(2) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे जैसा कि परिनियमावली, विनियमावली द्वारा विहित किया जाये।

वित्त नियंत्रक

17–वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा सीनेट के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और वह कुलपति के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा। वित्त नियंत्रक :–

(क) विश्वविद्यालय के वित्त व्यवस्था का प्रबंध करेगा;

(ख) कोषाध्यक्ष, वित्त समिति एवं प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु वार्षिक बजट, अनुमान एवं विवरण तैयार करेगा;

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित किया जाये।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

18–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :–

(एक) सीनेट;

(दो) प्रबंध बोर्ड;

(तीन) विद्या परिषद;

(चार) विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

(पाँच) नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड;

(छः) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाये;

सीनेट

19–(1) विश्वविद्यालय की एक सीनेट गठित की जायेगी, उक्त सीनेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) चेयरमैन, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद – अध्यक्ष

(दो) कुलाधिपति, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय – उपाध्यक्ष

(तीन) कुलपति, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय – सदस्य सचिव

(चार) अध्यक्ष/बिशप या उसका नामनिर्देशिती, यीशु दरबार चर्च, इलाहाबाद – सदस्य

(पाँच) उपाध्यक्ष, यीशु दरबार ट्रस्ट – सदस्य

(छः) उपाध्यक्ष, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद – सदस्य

(सात) कार्यकारी सचिव, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद – सदस्य

(आठ) कोषाध्यक्ष, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद – सदस्य

(नौ) महासचिव, यीशु दरबार चर्च – सदस्य

(दस) कोषाध्यक्ष, यीशु दरबार चर्च – सदस्य

(ग्यारह) अध्यक्ष, यीशु दरबार चर्च का एक नाम निर्देशिती – सदस्य

(बारह) अध्यक्ष, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी के दो नामनिर्देशिती – सदस्य

(तेरह) कुलाधिपति के दो नामनिर्देशिती – सदस्य

(2) विश्वविद्यालय प्रबन्धन की समस्त शक्तियाँ सीनेट में निहित होंगी और कुलाधिपति, कुलपति, कोषाध्यक्ष, प्रति कुलपतियों, निदेशकों, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं अन्य मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी। ऐसी नियुक्ति के लिए सीनेट, मानदेय/वेतन आदि के सम्बंध में विनिश्चय करेगा।

प्रबंध बोर्ड

20–(1) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा। प्रबंध बोर्ड निम्नलिखित से गठित होगी :–

(एक) कुलपति – अध्यक्ष

(दो) कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती – सदस्य

(तीन) सोसाइटी/विश्वविद्यालय का कोषाध्यक्ष – सदस्य

(चार) प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य) – सदस्य

(पाँच) प्रति कुलपति (प्रशासन) – सदस्य

(छः) कुलसचिव – सदस्य सचिव

(सात) एक वर्ष की अवधि के लिये चक्रानुक्रम के आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी एक संकाय का संकायाध्यक्ष (जिसमें संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण सम्मिलित है) – सदस्य

(आठ) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा दो नामनिर्देशिती – सदस्यगण

(नौ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामनिर्देशिती – सदस्य

(दस) भारत सरकार / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नामनिर्देशिती – सदस्य

(ग्यारह) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव या नामनिर्देशिती – सदस्य

(बारह) वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव या नामनिर्देशिती – सदस्य

(तेरह) महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद या नामनिर्देर्शिती – सदस्य

(चौदह) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम के आधार पर आचार्यों के मध्य से नाम निर्देशित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि – सदस्य

(पन्द्रह) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव या नामनिर्देशिती – सदस्य

(सोलह) सीनेट के दो नामनिर्देशिती – सदस्यगण

(सत्रह) सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल सोसाइटी के तीन नामनिर्देशिती – सदस्यगण

(अठ्ारह) यीशु दरबार चर्च के दो प्रतिनिधि – सदस्यगण

(उन्नीस) निदेशक (अनुसंधान) – पदेन सदस्य

(बीस) निदेशक (प्रसार) – पदेन सदस्य

(इक्कीस) निदेशक (एच0आर0एम0 एण्ड आर0) – पदेन सदस्य

(बाईस) निदेशक (विश्वविद्यालय विकास) – पदेन सदस्य

(तेईस) निदेशक (वित्तीय योजना एवं प्रबन्धन) – पदेन सदस्य

(चौबीस) निदेशक (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श) – पदेन सदस्य

(पच्चीस) निदेशक (प्रशासन) – पदेन सदस्य

(छब्बीस) वित्त नियंत्रक – पदेन सदस्य

(सत्ताईस) कुलपति द्वारा वर्षानुवर्ष के आधार पर शेष निदेशकों में से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक निदेशक – पदेन सदस्य

(2) प्रबंध बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शाक्तियाँ और कर्तव्य वही होंगे जैसा कि विहित किया जाये।

विद्या परिषद

21–(1)विद्या परिषद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों का प्रभारी होगी और वह परिनियमावली एवं इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिये और उपाधि तथा डिप्लोमा प्राप्त करने की आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखेगी और तत्सम्बंधी विनियमन के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का सम्पादन करेगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किया जाये या सौंपा जाये।

(2) विद्या परिषद निम्नानुसार गठित होगी :–

(एक)	कुलपति	–अध्यक्ष
(दो)	प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)	–सदस्य
(तीन)	प्रति कुलपति (प्रशासन)	–सदस्य
(चार)	कुलसचिव–	सचिव
(पाँच)	निदेशक (अनुसंधान)	–सदस्य
(छः)	निदेशक (प्रसार)	–सदस्य
(सात)	निदेशक (दूरस्थ शिक्षा)	–सदस्य
(आठ)	निदेशक (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श)	–सदस्य
(नौ)	निदेशक(मानव संसाधन, प्रबंध एवं सम्पर्क)	–सदस्य
(दस)	महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का एक नाम–निर्देशिती	–सदस्य
(ग्यारह)	परिसरों के निदेशक	–सदस्यगण
(बारह)	सकायों के संकायाध्यक्ष, विद्यालय/महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष	–सदस्यगण
(तेरह)	विभागाध्यक्ष	–सदस्यगण
(चौदह)	प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय से एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम के आधार पर विभागाध्यक्षों से भिन्न एक आचार्य और एक सह आचार्य	–सदस्यगण
(पन्द्रह)	कुलपति द्वारा नाम.निर्देशित तीन विशेषज्ञ	–सदस्यगण
(सोलह)	विद्या परिषद द्वारा सहयोजित तीन सदस्य जो विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारीवृंद के सदस्य न हों	–सदस्यगण
(सत्रह)	परीक्षा नियंत्रक	– सदस्य

(3) विद्या परिषद का गठन एवं उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जैसा कि विहित किया जाये।

वित्त समिति

22–(1)वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियाँ एवं उसके कृत्य वही होंगे जैसा कि विहित किया जाये ।

(2) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(1) कुलपति	– अध्यक्ष
(2) सोसाइटी / विश्वविद्यालय का कोषाध्यक्ष	– सदस्य
(3) प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)	– सदस्य
(4) प्रति कुलपति (प्रशासन)	– सदस्य
(5) कुलसचिव	– सदस्य
(6) निदेशक (वित्तीय योजना एवं प्रबन्धन)	– सदस्य
(7) वित्त नियंत्रक	– सदस्य
(8) उप वित्त नियंत्रक	– सदस्यगण
(9) सीनेट द्वारा नाम–निर्देशित दो सदस्य	– सदस्यगण
(10) निदेशक (विश्वविद्यालय विकास)	– पदेन सदस्य
(11) निदेशक (अनुसंधान)	– पदेन सदस्य
(12) निदेशक (प्रसार)	– पदेन सदस्य
(13) निदेशक (मानव संसाधन, प्रबंध एवं सम्पर्क)	– पदेन सदस्य
(14) निदेशक (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श)	– पदेन सदस्य
(15) निदेशक (प्रशासन)	– पदेन सदस्य
(16) कुलपति द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्देशित किया जाने वाला एक निदेशक	– पदेन सदस्य
(17) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव / सचिव या नाम–निर्देशिती	– पदेन सदस्य
(18) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, (भारत सरकार) का एक प्रतिनिधि	– पदेन सदस्य
(19) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ	– पदेन सदस्य
(20) कुलपति द्वारा नाम–निर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ	– पदेन सदस्य

नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड

23–(1) नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान नियोजन निकाय होगा और विश्वविद्यालय के विकास सम्बंधी कार्यक्रमों का अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड का गठन, शक्तियां एवं कृत्य वही होंगे जैसा कि विहित किया जाये ।

अन्य प्राधिकरण

24–ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाये, का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य वही होंगे जैसा कि विहित किया जाये।

संकाय की शैक्षणिक संरचना

25–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर और प्रारम्भ होने से पूर्ववर्ती सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) के संकाय और विद्यमान शैक्षणिक कार्यक्रम निरन्तर उसी रूप में संचालित होते रहेंगे।

(2) विद्या परिषद् और प्रबंध बोर्ड को कोई नया संकाय या विद्यालय या संस्थान या महाविद्यालय या विभाग सृजित/स्थापित करने की शक्ति होगी।

विश्वविद्यालय के निदेशालय

26–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित निदेशालय होंगे जिनके अध्यक्ष सम्बन्धित निदेशक होंगे :–

(एक) अनुसंधान निदेशालय

(दो) प्रसार शिक्षा निदेशालय

(तीन) दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

(चार) बीज एवं प्रक्षेत्र निदेशालय

(पांच) निदेशालय (विकास)

(छः) निदेशालय (मानव संसाधन, प्रबंध एवं सम्पर्क)

(सात) निदेशालय (वित्तीय नियोजन एवं प्रबन्धन)

(आठ) निदेशालय (स्थापना एवं सम्पति)

(नौ) निदेशालय (कैम्पस मिनिस्ट्री)

(दस) निदेशालय (प्रशासन)

(ग्यारह) निदेशालय (आन्तरिक गुणवत्ता, मूल्यांकन एवं आश्वासन)

(बारह) निदेशालय (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श)

(तेरह) निदेशालय (अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

(चौदह) निदेशालय (सहायक इकाईयां)

(पन्द्रह) निदेशालय (पौरोहित्य, मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्य)

(सोलह) निदेशालय (विधिक मामले)

इस अधिनियम और परिनियमावली के अधीन अनुवर्ती रूप में सृजित किसी अन्य निदेशालय, सेवा, नियुक्ति, शक्तियों, कर्तव्यों आदि की समस्त शर्तें विहित की जायेंगी।

परिनियमावली से सम्बन्धित अस्थायी उपबंध

27–विश्वविद्यालय के प्रारम्भ होने पर ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) का संविधान, उसकी उपविधियाँ एवं नियमावली यथा आवश्यक परिवर्तन सहित विश्वविद्यालय के लिए लागू होंगे, जब तक कि विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड एवं सीनेट द्वारा संशोधित या विखण्डित न कर दिया जाये।

परिनियम

28–इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय और समय–समय पर गठित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के अन्य निकायों का संविधान, शक्तियां और कृत्य;

(ख) प्राधिकरणों के सदस्यों के पद का निर्वाचन, नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकरणों से सम्बन्धित समस्त अन्य मामले जिनके लिए यह उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों का पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियाँ और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृंद की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति;

(च) पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के लिए उपबंध सहित कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ;

(छ) उपाधियों और डिप्लोमाओं/प्रमाणपत्रों का संस्थित किया जाना;

(ज) मानद उपाधियों (सम्मानार्थ उपाधि) का प्रदान किया जाना;

(झ) संकायों, विभागों, केन्द्रों एवं विद्यालयों की स्थापना किया जाना, समामेलन किया जाना, उप–खण्ड किया जाना और उनका समापन किया जाना;

(ञ) संस्थानों, महाविद्यालयों, केन्द्रों के संकायों, में अध्यापन विभागों की स्थापना किया जाना तथा सहयुक्त महाविद्यालयों या संस्थानों को मान्यता प्रदान करना;

(ट) निम्नलिखित पदाधिकारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें :–

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापक एवं शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के अन्य सदस्य।

(दो) किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त अध्यापक तथा शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के अन्य सदस्य; और विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारीगण;

(ठ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थानों के कर्मचारियों की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ड) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा कोई अपील करने की प्रक्रिया;

(ढ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहनों का संस्थित किया जाना;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावासों की स्थापना करना और उसके द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों को समाप्त किया जाना;

(त) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(थ) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अधीन लाया जा सकता है और ऐसी शर्तें जिनके अधीन उक्त विशेषाधिकारों को वापस लिया जा सकता है;

(द) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण किया जाना;

(ध) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अंतर्गत स्वीकृत महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के शासी निकायों का गठन किया जाना और ऐसे महाविद्यालयों एवं संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाना;

(न) जिस किसी महाविद्यालय अथवा संस्था को जिस स्वायत्तशासी सीमा तक स्वायत्त महाविद्यालय या संस्था के रूप में घोषित किया गया हो उस सीमा तक तत्सम्बन्ध में ऐसी स्वायत्ता का प्रयोग किया जा सकता है;

(प) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(फ) अन्य सभी विषय जिन्हें इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबंधित किया जाना हो या किया जा सकता है;

परिनियमावली बनाने की शक्ति

29–(1) प्रबन्ध बोर्ड उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमावली बनायेगा :

परंतु प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाली कोई परिनियमावली नहीं बनायेगा और न ही उसमें कोई संशोधन या निरसन करेगा जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और प्रबंध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर विचार न किया गया हो।

(2) प्रत्येक परिनियम पर कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो सहमति दे सकता है अथवा अपनी सहमति को रोक सकता है या इसे अपने द्वारा की गयी टिप्पणियों के आलोक में पुनर्विचार हेतु प्रबंध बोर्ड को प्रेषित कर सकता है।

(3) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम में संशोधन या निरसन तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि उस पर कुलाधिपति की सहमति न प्राप्त हो जाय;

परंतु यदि कुलाधिपति प्राप्त संदर्भ के 90 दिन के अन्तर्गत अपना विनिश्चय संसूचित नहीं करता/करती है तब उक्त मामले को सीधे सीनेट को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाया गया परिनियम उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को इसे कुलाधिपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाये अथवा ऐसे पश्चातवर्ती दिनांक से प्रभावी होगा जैसा कि उसके द्वारा या सीनेट के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

अध्यादेश

30–इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किसी विषय का उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों और डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किया जाने वाला पाठ्यक्रम;

(ग) ऐसी शर्तें जिनके अधीन विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अन्य पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा और वे उपाधियाँ तथा डिप्लोमा प्रदान किये जाने के लिए पात्र होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों में निवास हेतु शुल्क, उद्ग्रहीत किया जाना;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की मान्यता एवं प्रबन्धन;

(च) विशेष प्रबन्ध, यदि कोई हों, जो महिला छात्रों के निवास, अनुशासन और अध्ययन के लिये किये जा सकते हैं और उनके लिये विशेष पाठ्यक्रम विहित किया जाना;

(छ) उन कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ जिनके लिये परिनियमावली में उपबंध किया गया हो;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों एवं संस्थाओं का प्रबंधन;

(झ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थाओं के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ञ) किसी उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाने वाला शुल्क;

(ट) ऐसी शर्तें, जिनके अध्यधीन व्यक्तियों को छात्रावासों में अनुदेश देने के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया जा सकता है;

(ठ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति एवं कर्तव्यों की शर्तें और रीति;

(ड) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीकारों को भुगतान की जाने वाली पारिश्रमिक;

(ढ) अनुदेश और परीक्षा संचालन का माध्यम;

(ण) अध्ययन केन्द्रों, अंतर्शाखीय अध्ययनों, विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(त) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिनमें विद्वत निकाय या संघ सम्मिलित हैं, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(थ) विश्वविद्यालय के कार्य हेतु नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले यात्रा और दैनिक भत्तों सहित पारिश्रमिक और भत्ते;

(द) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों के आचरण एवं कर्तव्यों का विनियमन तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के छात्रों के आचरण का विनियमन;

(ध) अनाचार की श्रेणियां, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमावली या अध्यादेशों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है; तथा

(न) कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबन्धित किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किया जा सकता है;

प्रथम अध्यादेश

31–इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) की उपविधियों को विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के रूप में माना जायेगा और उन्हें किसी भी समय प्रबंध बोर्ड द्वारा निरसित या संशोधित किया जा सकता है तथा उनका सीनेट द्वारा यथाविहित रीति से अनुसमर्थन किया जा सकेगा;

विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या और उसकी प्रास्थिति के आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों की उपाधियों को मान्यता प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय की एक समतुल्य समिति होगी।

विनियम

32–विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अपने तथा अपने द्वारा नियुक्त समितियों, यदि कोई हों, के कार्य–संचालन हेतु इस अधिनियम के अनुरूप परिनियमावली द्वारा विहित रीति से विनियम बना सकते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

33–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार की जायेगी जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को यथाविहित दिनांक तक प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, सीनेट के समक्ष कुलाधिपति द्वारा अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

लेखा तथा सम्परीक्षा

34–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलनपत्र प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उसकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह माह से अनधिक के अन्तराल पर की जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों सहित सीनेट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाधिपति द्वारा की गयी टिप्पणियों को सीनेट तथा प्रबंध बोर्ड के संज्ञान में लाया जायेगा और प्रबंध बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात् की गयी टिप्पणियों, यदि कोई हो, को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

35–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी किसी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा और ऐसी संविदाएं इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली तथा अध्यादेशों से असंगत नहीं होंगी ।

माध्यस्थम अधिकरण

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा, विश्वविद्यालय में रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जायेगी ।

36–(1) विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के मध्य किसी संविदा से उठने वाला (विश्वविद्यालय में कार्य पर लगाने हेतु) कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर ऐसे माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें प्रबंध बोर्ड द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अधिनिर्णायक होगा।

(2) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) माध्यस्थम अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया वही होगी जैसा कि विहित की जाये।

पेंशन या बीमा योजनाएं

37–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए ऐसी बीमा/पेंशन योजनाएं, जैसा कि वह उचित समझे, यथाविहित रीति से और शर्तों के अध्यधीन उपबन्धित कर सकता है।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन से सम्बन्धित विवाद

38–(1) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या क्या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) कुलाधिपति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, कुलाधिपति के विनिश्चय के तीस दिनों के भीतर कुलाध्यक्ष को अपील कर सकता है और कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

39–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में से होने वाली समस्त आकस्मिक रिक्तियों को, ऐसे व्यक्ति या निकाय, जो ऐसे सदस्यों को नियुक्त करता हो, निर्वाचित करता हो या उन्हें सहयोजित करता हो, जिनके स्थान रिक्त हुए हों, द्वारा सुविधाजनक रूप में यथाशक्य शीघ्र भरा जायेगा और किसी आकस्मिक रिक्ति के लिए नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित कोई व्यक्ति, ऐसी शेष अवधि के लिए, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिए उक्त व्यक्ति, जिसका स्थान व भरता हो, सदस्य रहा हो।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी

40–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाहियां उसके सदस्यों के मध्य हुई किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगा/होंगी ।

सद्भावना पूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

41–इस अधिनियम, परिनियमावली या अध्यादेशों के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अपेक्षित होने पर सूचनाएं और दस्तावेज मांगे जाने का राज्य सरकार का अधिकार

42–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या विश्वविद्यालय के कब्जाधीन अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप में अनुरक्षित किसी पंजी, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो, में की गयी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेजों और पंजी में की गयी प्रविष्टियों की विद्यमानता को प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अन्तर्विष्ट विषयों और व्यवहारों को साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जाएगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य के रूप में ग्रहण होती।

(2) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय व्यवस्थाओं और अन्य कार्यकलापों से संबंधित सूचनाओं या अभिलेखों को राज्य सरकार द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत करें।

(3) यदि राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण हो कि अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबंधनों का उल्लंघन होता है तो वह विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

विश्विद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के न्यूनतम मानक

43–(1) विश्वविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी. /भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) तथा अन्य परिषदों द्वारा यथा अधिकथित उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के न्यूनतम मानक अनुरक्षित रखेगा।

(2) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यथा प्रयोज्य अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा संसूचित मानकों के अनुसार होंगे।

(3) शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारीवृंद की सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसी विहित की जाये।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

44–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश को लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नये परिनियम या अध्यादेश को यथाशक्य शीघ्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवर्तित किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

45–(1) विश्वविद्यालय दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को यथा विहित रीति से स्थायी विन्यास निधि का विनिधान करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय, सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तरित कर सकता है।

सामान्य निधि

46–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी :–

(क) ऐसे समस्त शुल्क, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाए;

(ख) किन्हीं अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) संस्थापक सोसाइटी द्वारा किए गए समस्त अंशदान और राज्य सरकार/केन्द्र सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्राप्त समस्त अनुदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा इस निमित्त किये गये ऐसे समस्त अंशदान, जिन्हें तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो;

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के समस्त आवर्ती व्ययों के लिए किया जाएगा ।

विकास निधि

47–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी :–

(क) विकास शुल्क जिन्हें छात्रों से प्रभारित किया जाये;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों हेतु अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) संस्थापक सोसाइटी द्वारा किए गए समस्त अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा इस निमित्त किये गये ऐसे समस्त अंशदान, जिन्हें तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो;

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गई समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा अथवा जैसा कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति द्वारा विनिश्चित किया जाये।

निधि का अनुरक्षण

48–धारा 45, 46 एवं 47 के अधीन स्थापित निधियाँ, सीनेट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन होंगी और इन्हें ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित की जायेगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाये।

वित्तीय शर्तें

49–विश्वविद्यालय, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से मानित विश्वविद्यालय की भांति निरन्तर समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त करता रहेगा। किसी अन्य स्रोत से अनुदान प्राप्त करने पर इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि पूर्वोक्त अनुदान सम्बंधित सरकारों के प्राधिकारियों के विवेक के अध्यधीन होंगे।

राज्य सरकार की निधियों का उपयोग

50–विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त निधियों के लिए स्थानीय निधि (उत्तर प्रदेश सरकार) और महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा से नियमित लेखा परीक्षा कराना होगा और उसे राज्य सरकार की नियमावली और दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों का उपयोगिता पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शुल्क

51–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क शैक्षणिक कार्यक्रम की इकाई लागत के अनुसार होगा जैसा कि समय–समय पर पुनर्विलोकित, पुनरीक्षित और विहित किया जाये।

विश्वविद्यालय का विघटन

52–(1) यदि विश्वविद्यालय, अपने संविधान या निगमन को शासित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो उसे योजना की सूची, दायित्व संविवरण एवं व्यवस्था का विवरण सहित लिखित नोटिस कम से कम छः माह पूर्व राज्य सरकार को देनी होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से विश्वविद्यालय के प्रशासन हेतु तब तक ऐसी व्यवस्था करेगी जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठयक्रमों के अंतिम बैच के छात्र अपना पाठ्यक्रम परिनियमावली/विनियमावली द्वारा यथा विहित रीति से पूर्ण नहीं कर लेते हैं।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

53–(1) विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय की पूर्ति स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि तथा विकास निधि से की जायेगी।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय के व्यय को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त न हो तो ऐसी व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

54–(1) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, तब वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम न हो, की अवधि में यह कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाये।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि प्रथमदृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली एवं अध्यादेशों के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध और इस अधिनियम, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबंधों या तद्धीन निर्गत किसी निर्देश के उल्लंघन के अभिकथनों की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेगी।

(4) जहाँ कहीं राज्य सरकार के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कोई जाँच संस्थित की जाये, वहाँ वह एक समुचित अधिसूचना जारी करके सीनेट को लम्बित किये बिना जांच की कार्यवाही करेगी।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी, अर्थातः–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध किया गया है या इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है तो राज्य सरकार, विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लेने के संबंध में अधिसूचना जारी करेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय की पूर्ति, स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए ऊपर निर्दिष्ट निधियां, पर्याप्त न हों तो ऐसे व्यय की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या अस्तियों का निस्तारण करते हुए की जा सकती हैं।

(8) उपधारा (6) के अधीन किसी अधिसूचना को जारी किये जाने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि उसे राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाये और राज्य विधानमण्डल के बहुमत से पारित कराया जाये।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश जारी करने की शक्ति

55–राज्य सरकार समय–समय पर जैसा कि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक मामले में निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों। ऐसे निदेशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

56–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, कर सकती है जैसा कि कठिनाइयों के निवारण के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–56 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

एक चोर की बात आ रही थी, लगता है इन्होंने चोर पकड़ लिया है। ये लाइन में जिसने लगाया है उसे पकड़ लिया है इन्होंने। किसने लाइन में लगाया पूरे देश को लगता है, चोर पकड़ा गया। ये ही कह रहे है कि चोर पकड़ लिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 का विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 का विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड 6 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2016 की धारा 2 का संशोधन

2–राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

''2–(ण) ''वरिष्ठ पत्रकार'' का तात्पर्य ऐसे पत्रकार से है जो कम से कम 15 वर्षों से किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र/समाचार, दूरदर्शन चैनल से किसी न किसी रूप से सम्बन्धित रहा हो और संवाददाता के रूप में कार्य किया हो अथवा वरिष्ठ स्तर पर लेखन या सम्पादन का कार्य किया हो।''

धारा–4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा–4 में, आवंटन हेतु पात्रता सूची में, प्रकार–5 के भवनों से सम्बन्धित क्रम संख्या 05 में शब्द ''राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सांविधिक आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य'' के स्थान पर शब्द ''राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सांविधिक आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार'' रख दिये जाएंगे।

धारा–6 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा–6 में, उपधारा (3) में–

(क) शब्द ''अधिकतम 05 वर्ष की अवधि'' के स्थान पर शब्द ''दस वर्ष की अवधि'' रख दिये जाएंगे; और

(ख) शब्द ''पांच वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''एक बार में दस वर्ष'' रख दिये जाएंगे।

धारा–7 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा–7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

''7–इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आवंटित किये गये भवनों का किराया, न्यास और सोसाइटी के मामले में बाजार दर से प्रभारित किया जाएगा और अन्य आवंटितियों के मामले में किराया ऐसे दर पर प्रभारित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाये।''

धारा–8 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा–8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात :–

''8–इस अधिनियम के किसी आवंटिती द्वारा किये गये अनधिकृत अध्यासन को, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 के उपबंधों के अधीन खाली कराया जायेगा।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 से खण्ड–6 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों को आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों को आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

ख01ण्31, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22–12–2016 को नियम–51 की कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री गुलाम मौहम्मद की जनपद लखनऊ के फैजाबाद रोड स्थित आनन्दी वाटर पार्क के पास जाफरपुरवा में मुड़ने वाली रोड पर अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। दूसरी सूचना श्री कुंवर कौशल सिंह की विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में मंडी समिति द्वारा 19–12–2016 तक मात्र 2000 कुन्टल धान खरीदे जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। तीसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2010 के सत्र में एम0काम0 द्वितीय सेमेस्टर की कापियों की जांच में की गयी हेराफेरी के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। चौथी सूचना श्री राजीव गुम्बर की नगर सहारनपुर में रोडवेज व प्राइवेट बस अड्डे को शहर के बाहर स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। पांचवी सूचना श्री अनीसुर्रहमान की जनपद बिजनौर में फोल्डा पट्टी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। छठी सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया की जनपद हमीरपुर में कस्बा राठ स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेज के नये भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। सातवीं सूचना श्री सुनील कुमार लाला की जनपद लखनऊ स्थित सत्यम सिटी पारा वार्ड, राजाजीपुरम् की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। आठवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर के सूडा छावनी क्षेत्र की मलिन बस्तियों का विकास कार्य कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। नवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। दसवीं सूचना श्री विनोद तिवारी की जनपद सिद्वार्थनगर ब्लाक उस्का के अन्तर्गत पोस्ट चौरी महुलानी की सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। ग्यारहवीं सूचना श्री संत प्रसाद की चकबन्दी प्रक्रिया की विभिन्न धाराओं में आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। बारहवीं सूचना श्री दिलनवाज खाँ की समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों को अनुदान की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। तेरहवीं सूचना श्री कालीचरन सुमन की जनपद आगरा के अन्तर्गत राज्य योजनान्तर्गत चन्दौसी आगरा तांतपुर कोर्ट मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। चौदहवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा मोना की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरायणपुर भटनी, प्रतापगढ़ को अपग्रेड कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। पन्द्रहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। सोलहवीं सूचना श्री पंकज मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर तथा शामली के कतिपय घोषित डार्क जोन क्षेत्रों में बिजली के कनेक्शन लगाये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। सत्रहवीं सूचना श्री

धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली अन्तर्गत ग्राम गुलड़िया उपराला में बिजली घर का निर्माण कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। अटठारहवीं सूचना ठा0 दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में क्षतिग्रस्त पुलियाओं के मरम्मत/पुनः निर्माण किये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। उन्नीसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद लखनऊ अन्तर्गत ग्राम बरौली खलीलाबाद के भूमि खसरा सं0–1627 में अनियमित रूप से लगायी गयी विकास दर की धनराशि को नियमित कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। बीसवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अर्न्तगत कतिपय क्षेत्रों के गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। इक्कीसवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा–वृन्दावन क्षेत्र में प्रवाहित यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। बाइसवीं सूचना श्री मो0 गाजी की जनपद हरदोई के ब्लाक मल्लावाँ में व्याप्त विद्युत अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। तेइसवीं सूचना श्री सलिल विश्नोई की प्रदेश के टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तदर्थ नियुक्ति न किये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। चौबीसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा अन्तर्गत दयालबाग स्थित वीर नगर कालोनी की जर्जर नाली व सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। पच्चीसवीं सूचना श्री रामचन्द्र चौधरी की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11/09/2016 को आयोजित अपर निजी सचिव (उ0प्र0 सचिवालय) चयन परीक्षा 2010 के विज्ञापन में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। छब्बीसवीं सूचना सुश्री श्रद्वा यादव की यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर द्वारा जनपद उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी योजना के आवंटियों से अनियमित रूप से ब्याज की वसूली किये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। सत्ताइसवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के श्रमिकों को नियमानुसार मजदूरी का भुगतान कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। अट्ठाइसवीं सूचना श्री जयप्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर के ब्लाक सरदारनगर अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा बाल बुजुर्ग बनसहिया मार्ग से रामघाट मझने नाला तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। उन्तीसवीं सूचना श्री राधेलाल रावत की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। तीसवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधान अध्यापक की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। इकतीसवीं सूचना श्री सन्त राम कुशवाहा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत मृगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। बत्तीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के अन्तर्गत नगलावेर से नगला राधे मार्ग की मरम्मत कराये जाने के

संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। तैतीसवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया की जनपद लखीमपुर खीरी सहित प्रदेश में साक्षर भारत मिशन योजना में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। चौतीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान क्षेत्र रसड़ा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। पैंतीसवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के अन्तर्गत सी0ए0टी0के0 मार्ग से डांडा होते हुये कुल्हाड़ा मोड़ तक के मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। छत्तीसवीं सूचना श्री दीपक पटेल की जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत करछना विकास खंड में मानकों के विपरीत नवसृजित विकास खंड बरांव का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। सैतीसवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति द्वारा की गई अनियमितताओं पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। अड़तीसवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में कार्यरत आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। उन्तालीसवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की पश्चिमी उ0प्र0 में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। चालीसवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया केमरी में उचित चिकित्सीय सुविधाएं न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। इक्तालीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेश सिंह की जनपद खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा स्थित पुल की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है।

(घोर व्यवधान जारी रहने पर)

अब देखिये, आज इस सोलहवीं विधान सभा का आखिरी सत्र था, हम लोगों को प्यार से यहां उठना चाहिये था, आपस में अपनी–अपनी बातें कहनी चाहिये थीं लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया, यह बड़ा दुखद है। चलते समय इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिये था।

ख01.35, सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चतकाल के लिये स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन को अनिश्चिलकाल के लिये स्थगित करने संबंधी, जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रगान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे ।
भारत–भाग्य–विधाता ।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग ।
विन्ध्य–हिमांचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग ।।
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे ।।
गाहे तव जय गाथा ।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य विधाता ।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम आप सभी को शुभकामनाओं के साथ, अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 1 बजकर 37 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 280 विधान सभा (447) 2–3–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।